केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–440)

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना के तहत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - xi
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1 – 12
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	13 – 27
तृतीय	अध्ययन निष्कर्ष	28 – 49
चतुर्थ	योजना के सकारात्मक पहलू, कठिनाइयाँ एवं सुझाव	50 – 55
	परिशिष्ट–''क''	56

———

उद्‌बोधन

राज्य में संतुलित विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षाकृत कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने, आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण के साथ ही क्षेत्रीय विकास की मूल धारा में स्थानीय निवासियों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2004–05 से गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का शुभारम्भ किया गया। योजना के तहत् ग्रामों में त्वरित विकास हेतु जन समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप चिन्हित कोई भी जन उपयोगी कार्य की लागत की 70 प्रतिशत राशि अथवा 3.75 लाख रूपये, जो भी कम हो, का आवंटन राज्य सरकार द्वारा एवं शेष राशि की व्यवस्था जन सहयोग अथवा दानदाता द्वारा कर चयनित कार्य करवाने के प्रावधान किये गये। योजनान्तर्गत 2004–05 से 2008–09 तक 15952.56 लाख रूपये की राशि व्यय की गयी जिनमें 11329.60 लाख रूपये राजकीय अंशदान एवं 4622.96 लाख रूपये जन भागीदारी के थे। योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यों की उपयोगिता, कार्यों की स्थिति एवं कार्यों का जनता पर प्रभाव आदि का आंकलन करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंषा पर प्रस्तुत योजना का मूल्यांकन करवाया गया।

अध्ययन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि योजना के तहत सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, पेयजल एवं सड़क निर्माण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी गयी। निर्मित कार्यों में स्थानीय समुदाय की सुविधाओं में वृद्धि के साथ ही परिसम्पत्तियों के निर्माण में स्थानीय समुदाय के जुड़ाव की भावना का विकास भी परिलक्षित हुआ है। अध्ययन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि योजना स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप एवं उपयोगी सिद्ध हुई है। योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से दानदाताओं तथा ग्रामवासियों को जन सहयोग राशि के लिए प्रेरित करना उचित होगा। आशा है प्रतिवेदन में यथास्थान दिये गये सुझाव कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में उपयोगी सिद्ध होंगे।

माह – मार्च, 2010
स्थान– जयपुर

(देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

आमुख

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण एवं रखरखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ''गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना'' वर्ष 2004–05 में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वयन की जा रही है। योजनान्तर्गत विकास कार्य अपेक्षित जनसहयोग प्राप्त होने पर स्थानीय जन समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किये जाते है।

योजना का मूल्यांकन न्यादर्श के आधार पर चार जिलों क्रमशः जैसलमेर, दौसा, अजमेर एवं उदयपुर की 8 पंचायत समितियों की 28 ग्राम पंचायतों में 85 कार्यों का चयन किया गया है। मूल्यांकन हेतु चयनित कार्यों में रोजगार प्राप्त करने वाले 80 श्रमिकों का भी चयन किया गया।

प्रस्तुत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर की प्रलेख सूचनाएं एकत्रित की गयी। चयनित कार्यों की स्वीकृति एवं निर्माण सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त कर सर्वे दिनांक को कार्यों की भौतिक स्थिति, रखरखाव एवं कार्यों की उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की गयी तथा कार्यकारियों एवं श्रमिकों से विभिन्न पक्षों पर विमर्श कर उनके विचार प्राप्त किये गये। प्रतिवेदन में योजना के क्रियान्वयन पक्षों पर प्रकाश डालते हुये अनुभूत कठिनाईयों का विवेचन किया गया है तथा यथास्थान प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव अंकित किये गये है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव योजना के प्रभावी संचालन हेतु कार्यकारी विभाग एवं कार्यकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

दिनांक – मार्च,2010
स्थान – जयपुर

(देवानन्द)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का मूल्यांकन

निष्पादक संक्षेप

I प्रस्तावना :

ग्रामीण क्षेत्रो में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में वर्ष 2004–05 से राज्य प्रवर्तित गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

II गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना के उद्देश्य :

- गॉव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरो का सृजन
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव मे स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन एवं
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारो के जीवन स्तर में सुधार करना।

III योजना का स्वरूप :

इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी नवीन कार्य करवाया जा सकता है जिसमें सामुदायिक परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का सृजन हो एवं गॉव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो विकास कार्यो का चयन जनसमुदाय की आवश्यकतानुसार उन्ही के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा चयनित कार्य की लागत का 70 प्रतिशत अथवा 3.75 लाख रूपये जो भी कम हो दिया जाता है तथा शेष राशि जन सहयोग के रूप में स्थानीय समुदाय या किसी दानदाता द्वारा नकद, सामग्री या श्रम के रूप में प्राप्त की जाती है तथा यदि चयनित कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो तो 80 प्रतिशत या 5.00 लाख रूपये जो भी कम हो राज्य सरकार द्वारा एवं शेष राशि जनसमुदाय से प्राप्त की जाती है।

IV कार्यो की स्वीकृति :

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का पंजीकरण संबंधित पंचायत समिति में प्रत्येक कार्य के प्रस्ताव के साथ 5000/– रूपये जमा करवाने पर किया जाता है जो जनसहयोग के पेटे समायोजित किये जाते है। पंचायत समिति स्तर पर प्रस्तावित कार्यो के लिए पंजीकरण रजिस्टर संधारित किया जाता है। योजना में अधिक से अधिक गॉवों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों के पंजीकृत कार्यो के प्रथम वरीयता के कार्य स्वीकृत करने के उपरान्त पुनः ग्राम पंचायतों के दूसरी वरीयता के कार्य इस पद्धति से स्वीकृत किये जाते है।

कार्यो की स्वीकृति जिला क्लक्टर द्वारा की जाती है लेकिन राशि का आवंटन राज्य स्तर से जिलो की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है व जिलो द्वारा इस राशि का आवंटन पंचायत समितियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। किसी पंचायत समिति में प्रस्ताव पंजीकृत नही हुऐ हो तो जिला क्लक्टर द्वारा अन्य पंचायत समिति के प्रस्तावित कार्य स्वीकृत किये जाते है ताकि आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग हो सके। जिला क्लक्टर द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

V कार्यकारी एजेन्सी :

सामान्यता कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/राजकीय विभाग/राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड/निगम/अभिकरण के माध्यम से करवाये जाते है। यदि जन सहयेाग पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट या किसी दानदाता द्वारा दिया जाता है एवं वह निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो जन सहयोग की राशि व्यय करने के उपरान्त कार्य का क्रियान्वयन शर्तो के साथ करवाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में विशेष आधार पर ही कार्य ठेके पर करवाये जाते है परन्तु प्रोरेटा चार्ज देय नही होता है।

VI मूल्यांकन की आवश्यकता :

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अनुशंषा पर इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

VII मूल्यांकन के उद्देश्य :

मूल्यांकन अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

- योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।
- योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना।
- निर्मित कार्यो के निर्माण मे स्थानीय समुदाय की भागीदारी ज्ञात करना।
- स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराये गये रोजगार का आंकलन करना।
- सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता एवं रख–रखाव की स्थिति ज्ञात करना।
- योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाईयो को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VIII न्यादर्श प्रक्रिया :

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक प्रगति को ध्यान मे रखते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु संस्तरित बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुये निम्न प्रकार से न्यादर्श चयन किया गयाः–

- योजनान्तर्गत मार्च 2008 तक विभिन्न जिलो में 98.10 लाख रूपये से 679.05 लाख तक व्यय किये गये। व्यय की गयी राशि के अनुसार जिलो को चार भागों में क्रमशः 150 लाख रूपये तक 150 से 300 तक, 300 से 450 तक एवं 450 लाख रूपये से ज्यादा में वर्गीकृत किया जाकर प्रत्येक वर्गीकृत भाग के जिलो में से औसतन व्यय के आधार पर एक–एक जिला अलग–अलग संभागवार क्रमशः सिरोही, दौसा, अजमेंर एवं उदयपुर का चयन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंषा पर चयनित जिला सिरोही की जगह जैसलमेर का चयन किया गया। इस प्रकार प्रथम स्तर पर चार जिला क्रमशः जैसलमेर, दौसा, अजमेंर, उदयपुर का चयन किया गया जो क्रमशः जोधपुर, जयपुर, अजमेंर एवं उदयपुर संभाग के है।
- द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो–दो पंचायत समितियों का चयन मार्च 2008 तक संबंधित स्वीकृत कार्यो के आधार पर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु 8 पंचायत समिमितयों का चयन किया गया।
- तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से न्यूनतम 10–10 कार्यो का चयन मार्च 2008 तक सर्वाधिक स्वीकृत कार्यो वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर किया गया। उपर्युक्त विधि के चयन से चयनित 8 पंचायत समितियों से 28 ग्राम पंचायतों के 85 कार्यो का चयन किया गया।
- चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से चयनित ग्राम पंचायतों में चालू/निर्मित/पूर्व में कराये गये कार्यो में रोजगार प्राप्त करने वाले 20–20 (कुल 80) श्रमिको से योजना एवं रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त की गयी।

प्रस्तुत अध्ययन में विभागीय एवं चयनित जिला/पंचायत समिति से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं तथा चयनित 85 कार्यो की प्राप्त विभिन्न सूचनाऐ/अवलोकित भौतिक स्थिति के अलावा 80 श्रमिकों एवं 47 कार्यकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारो/तथ्यों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्य के दौरान अवलोकित तथ्यों को संकलित कर विश्लेषण किया गया जो निम्न प्रकार हैः–

IX प्रगति समीक्षा :

1– राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति :

- योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07 एवं 2007–08 एवं 2008–09 में क्रमशः 260.01, 2800.00, 1000.00, 6000.00 एवं 2743.12 लाख रूपये आवंटित/रिलीज किये गये अर्थात पांचो वर्षो में 12803.13 लाख रूपये आवंटित किये गये। इस प्रकार प्रति वर्ष आवंटित राशि/रिलीज राशि भिन्न–भिन्न रही।
- योजनान्तर्गत पांचों वर्षो में व्यय की गयी राशि 15952.56 लाख रूपये में से 11329.60 (71.02 प्रतिशत) लाख रूपये राजकीय अंशदान एवं 4622.96 (28.96 प्रतिशत) जनभागीदारी के थे।

2. राज्य स्तरीय भौतिक प्रगति :

योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक 6168 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से मार्च 2009 तक 4881 (79.13 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये 640 (10.38 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे एवं शेष 647 (10.49 प्रतिशत) कार्य या तो प्रारम्भ नही किये गये अथवा निरस्त किये गये। वर्ष 2007–08 में सबसे ज्यादा 2545 कार्य स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2008–09 में सबसे ज्यादा 2353 कार्य पूर्ण किये गये।

3. चयनित जिला स्तरीय प्रगति :

- अध्ययन हेतु चयनित चारो जिलो में संदर्भित अवधि वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक राजकीय रिलीज राशि में से 84.12 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। सबसे ज्यादा 91.31 प्रतिशत राशि जिला अजमेंर एवं सबसे कम 66.36 प्रतिशत राशि जिला जैसलमेंर में व्यय की गयी।
- संदर्भित वर्षो में 547 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 357 (65.27 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये, 151 (27.60 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे शेष 39 (7.13 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नही किये गये थे या निरस्त कर दिये गये। सभी चयनित जिलो में 63.48 से 70.97 प्रतिशत के बीच कार्य पूर्ण किये गये।

4. चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति :

- चयनित 28 ग्राम पंचायतों के 89 ग्रामें में से 50 (56.18 प्रतिशत) ग्रामों में कार्य पंजीकृत करवाये गये तथा 44 (49.43 प्रतिशत) ग्रामों में कार्यो की स्वीकृति जारी की गयी।
- 50 ग्रामों में 135 कार्य पंजीकृत करवाये गये जिनमें से 86 (63.70 प्रतिशत) कार्य स्वीकृत किये गये।

X अध्ययन निष्कर्ष :

मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष चयनित 85 कार्यो की प्रगति एवं अवलोकित भौतिक स्थिति 80 श्रमिक, 47 सरकारी गैर–सरकारी उत्तरदाताओं से एवं क्षेत्रीय अवलोकन पर आधारित है।

(i) चयनित कार्यो का सामान्य विवरण

- चयनित 85 कार्यो में से 49 (57.65 प्रतिशत) कार्य सामान्य क्षेत्र 24 (28.23 प्रतिशत) कार्य अनुसूचित जाति एवं 12 (14.12 प्रतिशत) कार्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के थे।

- 29.41 प्रतिशत कार्यो के ग्राम की आबादी 1000 से कम, 20.00 प्रतिशत की 1000–2000, 5.88 प्रतिशत की 2000–30000, 20.00 प्रतिशत की 3000–4000, 4.71 प्रतिशत की 4000–5000 एवं 20.00 प्रतिशत कार्यों के ग्रामों की आबादी 5000 से ज्यादा थी।
- समस्त चयनित 85 कार्यो का चयन ग्राम सभा में आवश्यकतानुसार किया गया।
- 81.18 प्रतिशत कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत एवं 18.82 प्रतिशत कार्यो की पंजीकृत संस्था/स्वयंसेवी संस्थाऐ थी।
- 77.65 प्रतिशत कार्यो का स्वामित्व ग्राम पंचायत एवं 22.35 कार्यो का स्वामित्व सरकारी विद्यालयों/संस्थाओ का था।
- 74.12 प्रतिशत कार्यो से समस्त ग्राम एवं 25.88 कार्यो से ग्राम को आंशिक आबादी/बिखरी आबादी क्षेत्र लाभान्वित हो रहे थे।

(ii) कार्यो का प्रकार :

चयनित 85 कार्यो में से 30.59 प्रतिशत भवन निर्माण (सामुदायिक, विश्राम गृह, चोपाल भवन इत्यादि) 23.53 प्रतिशत कार्य ग्रेवल/सी.सी. सड़क निर्माण, 21.18 प्रतिशत कार्य चारदीवारी निर्माण (विद्यालय इत्यादि) 9.41 प्रतिशत कार्य तालाब, तलाई खुदाई व निर्माण 8.23 प्रतिशत कार्य विद्यालय/संस्था कक्ष/कमरा निर्माण, 7.06 प्रतिश कार्य हैण्डपम्प, टी गार्ड, पेयजल टंकी एवं सार्वजनिक पार्क इत्यादि के थे।

(iii) कार्यो का पंजीकरण एवं स्वीकृति :

चयनित 85 कार्यो का वर्ष 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08 में क्रमशः 10, 23, 1 एवं 51 कार्यो का पंजीकरण करवाया गया एवं इन पंजीकृत कार्यो की स्वीकृति वर्षवार क्रमशः 1, 25, 4 एवं 55 की गयी। इस प्रकार वर्ष 2004–05 में पंजीकृत 10 कार्यो में से उसी वर्ष में केवल 1 कार्य की ही स्वीकृति जारी की गयी।

(iv) पंजीयन से स्वीकृति की समयावधि :

चयनित कार्यो की पंजीयन दिनांक से 80.00 प्रतिशत कार्यो की स्वीकृति चार माह में, 20 प्रतिशत कार्यो की स्वीकृति 4 माह से 14 माह में जारी की गयी। चार माह से ज्यादा समय लगने वाले 17 (20 प्रतिशत) कार्यो में से 8 कार्य जैसलमेर, 5 कार्य अजमेंर, 3 कार्य दौसा एवं 1 कार्य उदयपुर जिले का था।

(v) कार्यो की स्वीकृति एवं व्यय राशि :

- 85 कार्यो हेतु स्वीकृत 253.61 लाख रूपये में से 250.14 (98.63 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये अर्थात औसतन प्रति कार्य 2.98 स्वीकृत एवं 2.94 लाख रूपये व्यय किये गये।
- स्वीकृत राशि रूपये 253.61 लाख रूपये में से 74.36 प्रतिशत राज्यांश राशि एवं 25.64 प्रतिशत जनसहयोग राशि स्वीकृत की गयी।
- 92.94 प्रतिशत कार्यों में स्वीकृत राशि में 99 प्रतिशत से ज्यादा, 2.35 प्रतिशत कार्यो में 90 से 99 प्रतिशत एवं 4.71 प्रतिशत कार्यो में 90 प्रतिशत से कम राशि व्यय की गयी।
- सबसे ज्यादा तालाब खुदाई एवं निर्माण कार्यो पर औसतन 5.50 लाख रूपये एवं चारदीवारी निर्माण, सड़क निर्माण, कमरा निर्माण एवं भवन निर्माण हेतु क्रमशः 3.17, 3.04, 2.64, 3.17 एवं 2.12 लाख रूपये औसतन प्रति कार्य स्वीकृत किये गये तथा स्वीकृति राशि के अनुसार व्यय किया गया।

(vi) जनसहयोग की भागीदारी :

- चयनित 85 कार्यो हेतु स्वीकृत राशि 253.61 लाख रूपये में से 65.02 (25.64 प्रतिशत) लाख रूपये जन सहयोग से प्राप्त किये गये।
- जन सहयोग से प्राप्त राशि 65.02 लाख रूपये में से 72.02 प्रतिशत राशि ग्रामीण जनसमुदाय, 13.14 प्रतिशत राशि व्यक्तिगत दानदाताओं, 10.46 प्रतिशत राशि विभिन्न संस्थानो/संगठनो से नगद एवं 4.38 प्रतिशत राशि जनसमुदाय से श्रमदान के समय प्राप्त की गयी।
- 88.24 प्रतिशत कार्यो हेतु जनसहयोग राशि एक स्त्रोत से 10.59 प्रतिशत राशि दो स्त्रोतों से एवं 1 (1.17 प्रतिशत) कार्य की तीन स्त्रोतों से प्राप्त की गयी।

(vii) कार्य निर्माण समयावधि :

चयनित 85 कार्यो में से 30.12 प्रतिशत कार्य एक माह में, 21.69 प्रतिशत कार्य दो माह में, 33.73 प्रतिशत कार्य तीन माह में, 7.23 प्रतिशत कार्य चार माह में एवं 7.23 प्रतिशत कार्य चार माह से ज्यादा समय में कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात पूर्ण किये गये। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर कार्य 4 माह से कम समय मे पूर्ण किये गये।

(viii) स्वीकृत राशि की प्राप्ति

69 (81.18 प्रतिशत) कार्यो की किश्तो की राशि समय पर एवं 16 (18.82 प्रतिशत) कार्यो की राशि देरी से प्राप्त हुई। 13 कार्यो की राशि जिला कार्यालयो से बजट के अभाव में देरी से एवं 3 कार्यो की राशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय पर नही भेजने के कारण देरी से प्राप्त हुई।

(ix) कार्यो की भौतिक स्थिति :

सर्वे दिनांक तक 85 कार्यो में से 82 कार्य पूर्ण हो चुके थे। 2 कार्यो का निर्माण चालू था एवं 1 कार्य में भूमि का विवाद होने के कारण चारदीवारी के हिस्से का कुछ कार्य शेष था।

(x) कार्यो की गुणवत्ता :

क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कार्यो के अवलोकन अनुसार चयनित 85 कार्यो की परिसम्पत्तियों में से 76 (89.41 प्रतिशत) परिसम्पत्तियो की गुणवत्ता अच्छी, 8 (9.41 प्रतिशत) की साधारण एवं 1 (1.18 प्रतिशत) की गुणवत्ता खराब पायी गयी। खराब गुणवत्ता वाली परिसम्पत्ति विद्यालय में निर्मित कमरे से संबंधित थी। विद्यालय में चारदीवारी नही होने के कारण विद्यालय समय के बाद पशुओं के प्रवेश एवं बच्चो द्वारा खेलकूद करने से फर्श टूटा हुआ था।

(xi) सृजित परिसम्पत्तियो का रख–रखाव एवं उपयोग :

चयनित 85 कार्यो में से 83 कार्यों का सर्वे दिनांक को उपयोग किया जा रहा था उनमें से 64 (77.11 प्रतिशत) परिसम्पत्तियां का रख–रखाव ग्राम पंचायतों एवं 19 (22.89 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का सरकारी विद्यालयो एवं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा था।

(xii) रोजगार की उपलब्धता :

- चयनित 85 कार्यो में 4750 (औसतन प्रति कार्य 56 श्रमिक) श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हुआ जिनमें से 4427 (93.20 प्रतिशत) स्थानीय श्रमिक एवं 323 (6.60 प्रतिशत) बाहरी श्रमिक थे।
- 4750 श्रमिको ने 80325 मानव दिवस रोजगार प्राप्त किया अर्थात प्रत्येक कार्य में प्रत्येक श्रमिक को औसतन 17 दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ।
- रोजगार प्राप्त करने वाले 4750 श्रमिको में से 48.17 प्रतिशत महिलाऐं, 25.79 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति, 15.56 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जनजाति एवं 30.44 प्रतिशत श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारो के थे।

(xiii) चयनित कार्यो में रोजगार प्राप्त श्रमिको से प्राप्त सूचनाऐं :

- चयनित कार्यो में रोजगार प्राप्त करने वाले 80 श्रमिको को अध्ययन हेतु चयनित किया गया। जिनसे प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः–
- चयनित 80 श्रमिको में से 64 अकुशल श्रमिक एवं 16 कुशल श्रमिक थे।

- 80 श्रमिकों में से 59 श्रमिको ने एक कार्य पर, 15 श्रमिको ने दो कार्यो पर एवं 6 श्रमिको ने तीन कार्यो पर रोजगार प्राप्त किया।
- 80 श्रमिको ने 3711 मानव दिवस अर्थात औसतन 46 मानव दिवस रोजगार प्राप्त किया।
- योजनान्तर्गत एक श्रमिक को औसतन 4479 रूपये की मजूदरी राशि तथा एक दिवस की औसतन मजूदरी 97 रूपये प्राप्त हुई।
- चयनित 80 परिवारो में से 25 परिवारो के 31 अन्य सदस्यो को योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध हुआ।

(xiv) योजना से पडे प्रभाव :

- योजनान्तर्गत स्थानीय श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध होने के कारण परिवारो की आय में वृद्धि हुई जिससे 25 प्रतिशत परिवारो ने जीवन स्तर/रहन–सहन में वृद्धि होना, 11.25 प्रतिशत परिवारो ने बच्चो को पढाई कराना, 5.00 प्रतिशत परिवारो ने बीमारी के समय इलाज कराया।
- योजनान्तर्गत जनभागीदारी के प्रावधान से क्षेत्र के ग्रामवासियो ने आवश्यकतानुसार कार्यो का चयन कर विभिन्न परिसम्पत्तियां सृजित की जिनसे जन समुदाय को वांछित सुविधाऐ प्राप्त हुई।
- चारदीवारी निर्माण कार्यो से संस्थाओं के भवनो की सुरक्षा एवं भूमि पर अतिक्रमण से बचाव हुआ।
- विद्यालयो मे कक्षा–कक्ष निर्माण से छात्रो की पढाई हेतु समुचित व्यवस्था हुई तथा पढाई पर सकारात्मक प्रभाव पडा।
- सड़क एवं नाली निर्माण से आवागमन की सुविधा तथा ग्राम में पानी के भराव से होने वाली गंदगी/कीचड़ की रोकथाम से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।
- सामुदायिक भवनों के निर्माण से ठहरने की व्यवस्था, बैठकों के आयोजन एवं जनसमुदाय की विभिन्न गतिविधयों हेतु स्थान उपलब्ध हुआ।
- अन्य विभिन्न निर्मित कार्यो से पशुधन हेतु पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, पेड पौधो की सुरक्षा होने से पर्यावरण दूषित होने से बचने के साथ–साथ वृद्ध ग्रामीणो के घूमने/आराम करने का स्थान मिला है।

(xv) योजना के संचालन में दृष्टिगोचर हुई कठिनाईयों एवं उनके निराकरण संबंधी सुझावो का विवरण

1. प्रत्येक वर्ष आवंटित राशि में अत्यधिक भिन्नता :

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक कुल 12803.13 लाख रूपये आवंटित किये गये। योजनान्तर्गत आवंटित राशि का प्रत्येक वर्ष उतार–चढाव रहा। वर्ष 2005–06 में 2800 लाख रूपये आवंटित किये गये उन्हे घटाकर वर्ष 2006–07 में 1000 लाख रूपये आवंटित किये गये फिर 2007–08 में इसे छः गुणा बढाकर 6000 लाख रूपये आवंटित किये। आवंटन राशि में इतना उतार–चढाव क्रियान्वयन एजेन्सी के लिए अग्रिम योजना बनाने में कठिनाई पैदा करता है। अतः योजना के अबाध गति से (Smooth) संचालन हेतु समान या बढती हुई राशि का आवंटन किया जाये ताकि क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अगले वर्ष की योजना तदुनरूप से तैयार की जा सकें।

2. स्वीकृतियों मे क्षेत्रवार असमानताऐं :

योजनान्तर्गत कार्यो हेतु जनसहयोग के आधार पर चयनित कार्यो का पंजीयन कर स्वीकृतियां जारी की जाती है। फलतः जिलो में किसी पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में ज्यादा काम स्वीकृत हुऐ है तो किसी में कम/स्वीकृत कार्यो में काफी अन्तर क्षेत्रीय असमानताओं को उत्पन्न करता है। पंचायत समितियो/ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव न आने पर उनके स्थान पर जनसहयोग की प्राप्त राशि वाले क्षेत्रो में कार्यो को स्वीकृति दे दी जाती है। अतः जहां तक संभव हो पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्र की आवंटित राशि के अनुसार वरीयता के क्रम में प्रस्ताव भेजने के लिए प्रेरित किया जावें।

3. योजना के प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्था :

जिलो में पंचायत समितियो की समस्त ग्राम पंचायतो में कार्य स्वीकृत नही हुए है तथा जिलो की पंचायत समितियो में भी स्वीकृतियों में काफी अन्तर है। अतः जनभागीदारी को बढावा देने हेतु योजना की उपयेागिता के बारे मे ग्राम सभाओं के माध्यम से ज्यादा प्रचार–प्रसार किया जाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत से कार्य स्वीकृत करवाये जावे।

4. पंजीकृत कार्यो की स्वीकृति वित्तीय वर्ष में नही किया जाना :

पंजीकृत करवाये गये कई कार्यो की स्वीकृति काफी लम्बे समय के बाद की जाती हैं। अतः उचित होगा कि राज्य स्तर से अगले वर्ष के अनुमानित वित्तीय प्रावधान जनवरी माह में ही जिलो को इंगित कर दिये जावे ताकि तदनुरूप कार्य पंजीकृत किये जाकर उसी वित्तीय वर्ष में या एक–दो माह में स्वीकृति जारी की जा सकें।

5. पर्याप्त बजट का प्रावधान :

चयनित जिलों में आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति अगले वित्तीय वर्षों में की जाती है। अतः पंजीकृत कार्यों को उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। यदि पर्याप्त बजट उपलब्ध न हो तो जिलों को समय पर सूचित कर अतिरिक्त पंजीयन को रोकने के यथा समय निर्देशित किया जाना चाहिये।

6. आवंटन से अधिक व्यय :

चयनित कुछ जिलो में आवंटन से बहुत अधिक व्यय किया गया। उदाहरणार्थ उदयपुर में वर्ष 2005–06 में उपलब्ध राशि 146.52 लाख रूपये के विपरीत 201.57 लाख रूपये व्यय किये गये जिससे वर्ष 2006–07 में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नही हुआ। विभाग को इस प्रकार की स्थितियो से बचने का प्रयास किया जाना चाहिऐ एवं उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

7. जन सहयोग का अभाव :

अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में 20 प्रतिशत हिस्सा राशि भी जनसहयोग से उपलब्ध न होने के कारण उनके क्षेत्र में विकासीय कार्य अपेक्षित मात्रा में नही हो पाये। ग्राम वासियो का नगद, श्रम व सामग्री के रूप मे बहुत कम सहयेाग रहा। क्षेत्र विशेष के व्यक्तिगत दानदाता, सीमित समूह, स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनो एवं विद्यालय छात्र निधि कोष से जनसहयोग की राशि प्राप्त हुई। अतः श्रम के रूप में जनसहयोग हेतु अधिक से अधिक ग्राम वासियो को प्रेरित किया जाना चाहियें।

8. एक ही प्रकार के कार्यो की स्वीकृति :

योजनान्तर्गत क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के कार्यो का पंजीयन अपेक्षित था लेकिन ज्यादातर कार्य सामुदायिक भवन, विद्याालय कक्ष एवं चारदीवारी, तालाब खुदाई तथा सड़क निर्माण से संबंधित थे। अतः एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के कार्य स्वीकृत नही किये जाने चाहिये। वर्ष के दौरान कार्य स्वीकृत करने से पूर्व वर्षो के स्वीकृत कार्यो को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

9. मजदूरी दरो में भिन्नता :

योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरी की दर ''नरेगा'' श्रमिकों से कम पायी गयी। अतः जहॉ भी नरेगा योजना क्रियान्वित थी वहां पर मजदूरो का रूझान ''नरेगा'' कार्यक्रम में अधिक था।

10. परिसम्पत्तियो का उपयोग एवं रख–रखाव :

योजनान्तर्गत अधिकाशं कार्यो का निर्माण एवं रख–रखाव ग्राम पंचायतो एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, परन्तु उनके रख–रखाव एवं निगरानी हेतु पृथक से बजट आवंटित नही होने के कारण लाभ प्राप्तकर्ताओं द्वारा ही उनकी सुरक्षा एवं निगरानी की जाती है। अतः विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का इन्द्राज ग्राम पंचायत एवं सरकारी संस्था के अभिलेख में करवाकर उनके रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

11. जनभागीदारी राशि की मानिटरिंग :

कार्यकारी विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विभाग द्वारा केवल राज्यांश राशि की ही मॉनिटरिंग की जाती हैं एवं व्यय राशि का प्रतिशत भी राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से निकाला जाता है। अतः आवंटित राशि के साथ–साथ जनभागीदारी से प्राप्त राशि की मॉनिटरिंग की जानी चाहिये ताकि यह ज्ञात हो सके कि जिले में जनसहयोग की प्राप्त राशि के विपरीत कितनी राशि व्यय की गयी।

12. कार्यो पर सूचनापट्ट/बोर्ड :

योजना के कार्यो से सृजित परिसम्पत्तियों को सूचना हेतु सूचनापट्ट लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिये और सूचनापट्ट पर स्वीकृत कार्यो की राशि, व्यय राशि, जनसहयोग राशि, कार्य प्रारम्भ का दिनांक, समाप्ति का दिनांक आदि का विवरण अंकित किया जाना चाहिये ताकि आमजन को इसकी जानकारी हो सके।

निष्कर्ष :

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ''गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना'' स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहायक एवं उपयोगी रही है। जनभागीदारी से सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग जनहित में पाया गया, कार्यो की गुणवत्ता संतोषजनक थी, अधिकांश कार्य समय पर पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जा चुके थे परन्तु समस्त पंचायत समितियों की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जनसहयोग प्राप्त नही होने के कारण स्वीकृतियों मे क्षेत्रवार असमानताऐ रही जिसके कारण कुछ पंचायत समितियों में कम कार्य स्वीकृत हुऐ एवं कई ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत ही नही हुये। बजट आवंटन के अभाव में पंजीकृत सभी कार्यो की स्वीकृतियां जारी नही होने एवं ग्राम पंचायतों से जन सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण समस्त ग्राम पंचायतों में विकासीय कार्य नही हो सके। अतः योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 3–4 माह पूर्व ही संबंधित जिलो/पंचायत समितियों को अनुमानित राशि की सूचना दी जावें। कार्यो का पंजीकरण स्वीकृति व कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्व कराऐ जाने के लक्ष्य निर्धारित किये जावें तथा ग्राम वासियो में ग्राम सभाओं के माध्यम से विस्तृत प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक ग्राम पंचायतों से जनसहयोग की राशि एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें तथा कार्यो के रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तभी योजना अधिक प्रभावी, लोकप्रिय एवं सस्टेनेबल (Sustainable) सिद्ध होगी।

————

अध्याय प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1.0 **पृष्ठभूमि :**

1.1.1 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम, आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट कल्याणकारी/विकासीय योजनाओं का सृजन कर उन्हें मूर्त रूप देने का भरसक प्रयास किया है। ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गयी। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे "विशिष्ट योजनाऐं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग" का नाम दिया गया। 1 अप्रेल,1999 से इस विभाग का नाम "ग्रामीण विकास विभाग" किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजनाओं/कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन एवं संचालित गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया। वर्तमान में इस विभाग का नाम "ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग" है।

1.1.2 राज्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकासात्मक असंतुलन को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों को अपेक्षित प्राथमिकता देने की दृष्टि से स्थाई विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कमजोर और उपेक्षित वर्गों के विकास पर विशेष ध्यान गया है। इस हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन।
(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
(iii) आर्थिक विकास हेतु सुदृढ़ आधारभूत संसाधनों का सृजन।
(iv) क्षेत्रीय विषमताऐं दूर करना।
(v) विकासीय योजनाओं में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन।
(vi) आवासहीन को आवास एवं शोषित को सम्बल देना।

1.2.0 **गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना का स्वरूप :**

1.2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2004–05 से "गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी। वर्ष 2004–05 से क्रियान्वित इस योजनान्तर्गत विकास कार्य अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त होने पर स्थानीय जन समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किये जाते हैं।

1.2.2 इस योजना के तहत राज्य सरकार का अंशदान कार्य की लागत का 70 प्रतिशत या 3.75 लाख रूपये जो भी कम हो दिया जाता है तथा यदि चयनित कार्य जिला योजना से स्वीकृत है तो 80.00 प्रतिशत या 5.00 लाख रूपये जोभी कम हो तो दिया जाता है तथा शेष राशि जनसहयोग के रूप में सामग्री या श्रम के रूप में या नगद प्राप्त की जाती है।

1.2.3 यदि कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में है तो पैरा 1.2.2में वर्जित शर्तें लागू न होकर राज्य सरकार का अंशदान कार्य की लागत का 80 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये (जिला योजना (District Plan) में न होने पर 3.75 लाख रूपये) जो भी कम हो, दिया जाता है तथा शेष राशि जन सहयोग के रूप में सामग्री, श्रम अथवा नगद के रूप में प्राप्त की जाती है।

1.2.4 राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर व जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है।

1.3.0 **योजना के उद्देश्य :**

(i) गाँव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण,
(ii) रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन,
(iii) स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन,
(iv) सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन एवं
(v) ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना।

1.4.0 **योजना की विशेषताऐं :**

(i) यह शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है एवं केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू की गयी है।

(ii) इस योजनान्तर्गत केवल नवीन कार्य ही स्वीकृत किये जाते हैं। अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/ अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(iii) योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाता है :–

1. कार्य की लागत का 70 प्रतिशत अथवा 3.75 लाख रूपये, जो भी कम हो दिया जाता है।

2. यदि चयनित कार्य जिला योजना (District Plan) में स्वीकृत हो तो राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत या 5.00 लाख रूपये, जो भी कम हो दिया जाता है।

3. यदि चयनित कार्य अनसूचित जन जाति उपयोजना क्षेत्र में है तो राज्य सरकार का अंशदान कार्य की लागत का 80 प्रतिशत या 5.00 लाख रूपये (जिला योजना में न होने पर 3.75 लाख रूपये)जो भी कम हो दिया जाता है।

(iv) गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के लिए जन सहयोग के रूप में कोई भी अन्य राजकीय स्त्रोत से जैसे कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

(v) जन सहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/ सामाजिक संगठन/ गैर सरकारी संस्था/ ट्रस्ट/ पंजीकृत संस्था/ व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जाता है। जन सहयोग की राशि पंचायत समिति/ जिला परिषद में नकद जमा करायी जाती है अथवा समान मूल्य की सामग्री/श्रम मूल्यांकित कार्य के रूप में उपलब्ध कराकर जिला परिषद को सूचित किया जाता है।

(vi) राजकीय विद्यालय में उसी भवन के निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण के लिये योजना में देय निर्धारित जन सहयोग के पेटे छात्र निधि कोष का उपयोग किया जा सकता है।

(vii) सृजित होने वाली परिसम्पति का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्था में निहित होता है।

1.5.0 **कार्यों के प्रस्ताव :**

(i) इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/ सुविधाओं का सृजन हो एवं गाँव में त्वरित आर्थिक एवं समाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो। निम्नांकित कार्यो को छोड़कर अन्य सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं :–

(अ) अनुदान एवं ऋण।
(ब) वाणिज्यिक संगठन/ निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति।
(स) केवल वस्तु/ सामान की खरीद।
(द) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
(य) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति।
(र) धार्मिक पूजा स्थल।
(ल) जातिगत व धार्मिक आधार पर सामुदायिक भवन।

(ii) सामान्यतया 10.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्य स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। 10.00 लाख रूपये से अधिक लागत वाले प्रत्येक कार्य की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला परिषद को राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। राज्य सरकार से अनुमति लेने के लिए प्रस्तावित कार्य के वित्त पोषण बाबत नक्शा एवं अनुमानित तकमीना भेजना होता है।

(iii) इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्य विकासात्मक प्रकृति एवं सामुदायिक उपयोग के होने पर स्वीकृत किये जाते हैं तथा टिकाऊ परिसम्पत्तियों पर अधिक जोर दिया जाता है। आवृति व्यय हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

(iv) गौशाला निर्माण के लिए टिकाऊ प्रकृति की परिसम्पत्तियों का सृजन शर्तों के साथ किया जा सकता है।

(v) सहकारी समिति गोदाम व दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भवन निर्माण का कार्य जिसमें राज्य सरकार की पूँजी हिस्सा राशि हो तो, शर्तों के साथ किया जा सकता है।

(vi) पौधों के संरक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर ईंटों के ट्री गार्ड लगाये जा सकते है।

1.6.0 **जन सहयोग :**

(i) जन सहयोग स्थानीय समुदाय या किसी दानदाता द्वारा नकद, सामग्री या श्रम के रूप में दिया जाता है।

(ii) निर्धारित जन सहयोग की पूर्ण राशि एक मुश्त ही स्वीकृति से पूर्व पंचायत समिति/ जिला परिषद में जमा करानी होती है। यदि जन सहयोग अंशतः या पूर्णतः सामग्री के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है तो सामग्री निर्माण स्थल पर उपलब्ध करायी जानी होती है।

(iii) ग्रामवासियों द्वारा जन सहयोग नकद व सामग्री के रूप में नहीं दिया जाकर जन सहयोग की राशि के बराबर का निर्माण कार्य या मजदूरी के रूप में भी कराया जा सकता है। परन्तु इसके लिए ग्रामवासियों व ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत समिति को लिखित में वचनबद्धता (Undertaking) देनी होती है।

(iv) किसी भी राजकीय विभाग द्वारा किसी निर्माण कार्य के लिए देय राशि को जन सहयोग नहीं माना जाता है। उसी विद्यालय के भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण के लिए योजना में देय निर्धारित जनसहयोग के पेटे छात्र निधि कोष का उपयोग किया जा सकता है।

1.70 **कार्यों की स्वीकृति :**

(i) सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए पंजीकरण रजिस्टर संधारित किया जाता है, जिसमें जन सहयोग के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य के प्रस्ताव पंजीकृत किये जाते हैं। पंजीयन हेतु कार्यकारी संस्था द्वारा जन सहयोग से निर्माण कार्य कराने हेतु प्रस्ताव मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक कार्य के प्रस्ताव के साथ 5000/– रूपये भी जमा कराने होते है। जो जन सहयोग के पेटे समायोजित किये जाते हैं।

(ii) योजना में अधिक से अधिक गाँवों को लाभ पहुँचाने के लिए पंचायत समिति स्तर पर रोटेशन पद्धति अपनाकर एक ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत कार्यों में प्रथम वरीयता का कार्य लिया जाता है। उसके बाद दूसरी ग्राम पंचायत का प्रथम वरीयता का एक काम लिया जाता है। इसी प्रकार सभी ग्राम पंचायतों के पंजीकृत कार्यों के प्रथम वरीयता के कार्य को स्वीकृत करने के उपरान्त पुनः ग्राम पंचायतों के दूसरी वरीयता के कार्य इस पद्धति से स्वीकृत किये जाते है। कार्यों की स्वीकृति जिला कलक्टर द्वारा की जाती है लेकिन राशि का आवंटन राज्य स्तर से जिलों की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है व जिलों द्वारा इस राशि का उपावंटन पंचायत समिति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत समिति को आवंटित राशि के अनुसार कार्यों की स्वीकृति की जाती है।

(iii) योजनान्तर्गत पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति पंचायत समितिवार पंजीकृत प्रस्तावों की वरीयता के आधार पर की जाती है।

(iv) यदि किसी पंचायत समिति में प्रस्ताव पंजीकृत नहीं हुए हो तो जिला कलक्टर द्वारा अन्य पंचायत समिति के प्रस्तावित कार्य स्वीकृत किये जाते हैं ताकि आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग हो सके।

(v) निर्धारित जन सहयोग की वांछित पूर्ण राशि नकद, सामग्री अथवा श्रम के रूप में जमा हो जाने के पश्चात् बजट की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के उपरान्त जिला कलक्टर द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

(vi) यदि ग्रामवासियों द्वारा जन सहयोग नगद/सामग्री के रूप में न दिया जाकर जन सहयोग की राशि के बराबर की लागत का निर्माण कार्य श्रम द्वारा (Labour Cost) करवाया जाना प्रस्तावित हो तथा पंचायत समिति से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त हो तो जिला कलक्टर द्वारा कार्य की स्वीकृति जारी की जाती है।

(vii) यदि दानदाता द्वारा अपेक्षित जन सहयोग मूल्यांकित निर्माण कार्य के रूप में दिये जाने का विकल्प दिया जाता है तो कार्य की स्वीकृति जारी होने के तत्काल बाद कार्यकारी संस्था के माध्यम से दानदाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करवाया जाता है।

1.8.0 **कार्यकारी एजेन्सी :**

(i) सामान्यतया कार्य का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं/ राजकीय विभाग/ राज्य सरकार द्वारा विशेष विधि के तहत गठित बोर्ड/ निगम/ अभिकरण जो प्रस्तावित कार्य करवाने में सक्षम हो, के माध्यम से करवाया जाता है। विशेष परिस्थितियों में विशेष आधार पर ही कार्य ठेके पर करवाये जाते हैं परन्तु प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होता है।

(ii) परन्तु यदि जन सहयोग जिस पंजीकृत संस्था/ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है एवं वह पंजीकृत संस्था/ ट्रस्ट स्वयं कार्य निष्पादन कराने का विकल्प रखती है तो ऐसी पंजीकृत संस्था/ ट्रस्ट द्वारा कार्य का क्रियान्वयन शर्तों के साथ करवाया जाता है।

(iii) यदि कोई दानदाता (व्यक्ति/ समुदाय) निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में जन सहयोग की राशि व्यय करने के उपरान्त व्यक्ति/ समुदाय द्वारा सम्पादित कार्य के मूल्यांकन के आधार पर राज्यांश की राशि 3 से 4 किश्तों में दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

1.9.0 **नामकरण :**

योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार/पंचायती राज संस्थाओं में निहित होता है परन्तु किसी कार्य का नामकरण किसी संस्था/ ट्रस्ट/ समाज या व्यक्ति के नाम पर करने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर दी जाती है :–

(i) कार्य की लागत का कम से कम 75 प्रतिशत राशि जन सहयोग के रूप में देने पर दानदाता का नाम राजकीय शब्द से पूर्व जोड़ा जाता है।

(ii) कार्य की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत जन सहयोग के रूप में देने पर दानदाता का नाम राजकीय शब्द के पश्चात् जोडा जाता है।

(iii) कार्य की लागत का 50 प्रतिशत राशि से कम जन सहयोग देने की स्थिति में सूचना पट्ट पर दानदाता द्वारा दी गई राशि व राज्य सरकार द्वारा व्यय राशि का उल्लेख किया जाता है।

(iv) निर्मित परिसम्पत्तियाँ राज्य सरकार, ग्राम पंचायत एवं सहकारी समिति के स्वामित्व की ही होनी चाहिए तथा भवन सार्वजनिक रहेगा तथा उसे जाति/ वर्ग/समुदाय के भेदभाव के बिना सभी को समान रूप से उपयोग में लेने का अधिकार दिया गया है।

1.10.0 **प्रबोधन व्यवस्था (Monitoring) :**

(i) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

(ii) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबोधन हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों से मासिक प्रगति प्राप्त की जाती है तथा उक्त प्रगति की समीक्षा कर परियोजना अधिकारियों की मुख्यालय पर आयोजित बैठकों में आवश्यक निर्देश दिये जाते है तथा बैठक की समीक्षा टिप्पणी/ विवरण जिलों को प्रेषित की जाती है।

1.11.0 **धनराशि का अवमोचन (Release) :**

(i) राज्य स्तर से राशि का आवंटन जिलों को जिलों की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है व जिलों द्वारा इस राशि का उपावंटन पंचायत समिति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है।

(ii) योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 से ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर जिलों को आवंटित 50 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की जाती है। द्वितीय किश्त जिले की योजनान्तर्गत प्रगति व जिले में बकाया प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है।

(iii) वर्ष 2008–09 के पूर्व योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत राशि प्रथम किश्त के रूप में पंचायत समिति की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गयी है व उसके 60 प्रतिशत उपयोग के पश्चात् द्वितीय किश्त की 50 प्रतिशत राशि आवंटित की गयी है।

1.12.0 **पूर्णता प्रमाण पत्र :**

निर्मित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार करवाये जाते हैं।

1.13.0 **अभिलेख/ परिसम्पत्ति का ब्यौरा संधारण :**

ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अभिलेख/ परिसम्पत्तियों के ब्यौरे का संधारण किया जाता है।

1.14.0 **अंकेक्षण :**

योजना मद में दी जाने वाली व जन सहयोग राशि के लेखे का अंकेक्षण सनदी लेखाकार के द्वारा नियमानुसार करवाया जाता है।

1.15.0 **योजना का क्रियान्वयन एवं प्रगति :**

1.15.1 योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2004–05 से राज्य के सभी 32 जिलों में किया जा रहा है। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इस योजना का प्रशासनिक विभाग है तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर व जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था है। योजनान्तर्गत कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या–1

वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

वर्ष	स्वीकृत कार्य(संख्या)	पूर्ण कार्य(संख्या)	व्यय की गयी राशि (रूपये लाखों में)
2004–05	104	22	147.01
2005–06	1404	775	3020.95
2006–07	337	669	1571.15
2007–08	2545	1067	4964.57
योग	**4390**	**2533**	**9703.68**

वर्षवार एवं जिलेवार व्यय की गयी राशि की सूचना परिशिष्ट–''क'' पर उपलब्ध है।

1.16.0 **अध्ययन की आवश्यकता :**

1.16.1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अनुशंषा पर वर्ष 2004–05 से राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित "गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के तहत निर्मित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन" राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

1.17.0 **अध्ययन के उद्देश्य :**

1.17.1 अध्ययन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये :

(i) योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना,

(ii) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की उपादेयता एवं गुणवत्ता का आंकलन करना,

(iii) निर्मित कार्यों के निर्माण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी ज्ञात करना,

(iv) स्थानीय समुदाय को उपलब्ध कराये गये रोजगार का आंकलन करना,

(v) सृजित परिसम्पत्तियों की उपयोगिता एवं रख–रखाव की स्थिति ज्ञात करना।

(vi) योजना के सफल एवं प्रभावी संचालन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.18.0 **न्यादर्श चयन :**

1.18.1 योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति के आधार पर किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

1. विभागीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए **प्रथम स्तर पर** योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक व्यय की गयी राशि के आधार पर 32 जिलों में से 4 जिलों का चयन किया गया। इस हेतु जिलों द्वारा व्यय की गयी राशि को बढ़ते क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। जिसके अनुसार योजनान्तर्गत मार्च,2008 तक विभिन्न जिलों में 98.10 लाख रूपये से 679.05 लाख रूपये तक व्यय किये गये। व्यय की गयी राशि के अनुसार 32 जिलो को चार भागों में क्रमशः 150.00 लाख रूपये तक, 150 से 300 तक, 300 से 450 तक एवं 450 लाख रूपये से ज्यादा में वर्गीकृत किया जाकर प्रत्येक वर्गीकृत भाग के जिलों में से एक–एक जिले का चयन किया गया। जिलों के चयन में ध्यान में रखा गया कि जिलों के प्रत्येक भाग का चयनित जिला अलग–अलग सम्भाग का प्रतिनिधित्व करने के साथ उस वर्ग के औसत व्यय के करीब हो। इस प्रकार अध्ययन हेतु चार जिले यथा– सिरोही, दौसा, अजमेर एवं उदयपुर का चयन किया गया जो क्रमशः जोधपुर, जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर सम्भाग के हैं। विभाग की जोधपुर सम्भाग में से जोधपुर, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में से एक जिले का चयन करने की अनुशंषा के आधार पर चयनित जिला सिरोही की जगह जैसलमेर जिले का चयन किया गया।

2. **द्वितीय स्तर** पर प्रत्येक चयनित जिले में मार्च,2008 तक स्वीकृत कार्यों की संख्या के अनुसार पंचायत समितिवार सूची तैयार कर उनमें से सर्वाधिक स्वीकृत कार्यों के आधार पर दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु चार जिलों से आठ पंचायत समितियों का चयन किया गया।

3. **तृतीय स्तर** प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से न्यूनतम 10–10 कार्यों का चयन किया गया। कार्यों का चयन पंचायत समिति क्षेत्र में मार्च,2008 तक अधिकतम स्वीकृत कार्यों वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर किया गया उपर्युक्त विधि के चयन से चयनित 8 पंचायत समितियों से 28 ग्राम पंचायतों में 85 कार्यों का अध्ययन हेतु चयन किया गया।

4. **चतुर्थ स्तर** पर क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्रत्येक चयनित जिले से चयनित पंचायत समिति के क्षेत्रों में चयनित ग्राम पंचायतों में चालू/ निर्मित कार्यों या पूर्व में कराये गये कार्यों में रोजगार प्राप्त करने वाले 20 श्रमिकों से योजना सम्बन्धी एवं रोजगार सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी। इस प्रकार अध्ययन हेतु 80 श्रमिकों का चयन किया गया।

न्यादर्श साईज :

संक्षेप में अध्ययन हेतु निम्न इकाईयों का चयन किया गया –

चयनित सम्भाग	चयनित जिले	चयनित पंचायत समितियाँ	चयनित ग्राम पंचायतें	चयनित कार्य	श्रमिक
जोधपुर	जैसलमेर	जैसलमेर एवं सम	10	20	20
जयपुर	दौसा	दौसा एवं सिकराय	11	20	20
अजमेर	अजमेर	पीसांगन एवं भिनाय	4	25	20
उदयपुर	उदयपुर	खैरवाड़ा एवं भिण्डर	3	20	20
योग			**28**	**85**	**80**

1.19.1 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में निम्नलिखित अनुसूचियाँ उपयोग में ली गयी :–

1. **प्रलेख अनुसूची –** इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों एवं पंचायत समितियों की योजना सम्बन्धी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सम्बन्धी सूचना निम्न प्रलेख अनुसूचियों में एकत्रित की गयी।

   (क) चयनित जिला प्रलेख अनुसूची
   (ख) चयनित पंचायत समिति प्रलेख अनुसूची
   (ग) चयनित ग्राम पंचायत अनुसूची

2. **कार्य अनुसूची –** इस अनुसूची में चयनित कार्य हेतु आवंटित राशि, व्यय राशि, कार्य में लगने वाले समय व कार्य की उपयोगिता सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की गयी।

3. **श्रमिक अनुसूची –** इस अनुसूची में श्रमिकों से योजनान्तर्गत प्राप्त रोजगार, मजदूरी एवं कार्यों के उपयोग सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी।

4. **सरकारी–गैर सरकारी अनुसूची –** इस अनुसूची में अध्ययन हेतु चयनित जिलो, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायत एवं ग्राम के सरकारी–गैर सरकारी व्यक्ति यथा परियोजना निदेशक, प्रभारी अधिकारी, विकास अधिकारी, अभियन्ता, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच, पटवारी एवं योजना में रूचि रखने वाले व्यक्तियों से योजना सम्बन्धी विभिन्न जानकारियों (कार्यों का चयन, उपयोगिता, गुणवत्ता जनसहयोग की राशि) एवं कार्यक्रम के संचालन में आ रही कठिनाइयों एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्राप्त किये गये।

1.20 संदर्भ अवधि :

1.20.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचना कार्यक्रम के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक एकत्रित की गयी एवं कार्यों की भौतिक स्थिति, उपयोगिता, अधिकारियों/गैर अधिकारियों एवं श्रमिकों से विचार सर्वे अवधि अगस्त–दिसम्बर 2008 से सम्बन्धित है।

———

अध्याय द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1.0 योजना का स्वरूप

2.1.1 राज्य प्रवर्तित गुरू गोलवलकर जन भागीदारी योजना वर्ष 2004–05 से राज्य के सभी 32 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चयनित कार्य की लागत का 70 प्रतिशत अथवा 3.75 लाख रूपये, जो भी कम हो, दिया जाता है तथा यदि चयनित कार्य जिला योजना में स्वीकृत हो तो 80 प्रतिशत या 5 लाख जो भी कम हो, दिया जाता है तथा शेष राशि जन सहयोग के रूप में सामग्री या श्रम के रूप में अथवा नकद प्राप्त की जाती है। संक्षेप में राज्य सरकार व जनता की भागीदारी से योजनान्तर्गत सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं रखरखाव किया जाता है। विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकतानुसार उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के संदर्भित वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक सूचनाओं के आधार पर न्यादर्श का चयन किया जाकर क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न करवाया। वर्ष 2008–09 की प्रगति के समंक प्राप्त कर राज्य स्तरीय प्रगति में समावेशित किये गये है तथा चयनित जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की प्रगति का विश्लेषण प्रस्तुत अध्याय में दिया गया है।

2.2.0 राज्य स्तरीय वित्तीय प्रगति

2.2.1 आवंटन एवं व्यय राशि :

गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के तहत योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक की वर्षवार प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 2

वर्षवार आवंटन एवं व्यय राशि (2004–05 से वर्ष 2008–09 तक)

(रूपये लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान जारी राशि (आवंटन)	वर्ष के अन्त तक योजनान्तर्गत कुल जारी राशि (संचयी)	व्यय राशि		योग (5+6)	वर्ष के अन्त तक कुल व्यय राशि (राजकीय अंशदान)**
				राजकीय अंशदान*	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2004–05	260.01	260.01	87.89 (33.80)	59.12	147.01	87.89 (33.80)
2	2005–06	2800.00	3060.01	2070.79 (73.96)	950.16	3020.95	2158.68 (70.55)
3	2006–07	1000.00	4060.01	1192.82 (119.28)	378.33	1571.15	3351.50 (82.55)
4	2007–08	6000.00	10060.01	3324.06 (55.40)	1640.51	4964.57	6675.56 (66.36)
5	2008–09	2743.12	12803.13	4654.04 (169.66)	1594.84	6248.88	11329.60 (88.49)
	योग :	**12803.13**	**12803.13**	**11329.60 (88.49)**	**4622.96**	**15952.56**	**11329.60 (88.49)**

* कोष्ठक ( ) में वर्ष में जारी राशि से व्यय राशि का प्रतिशत अंकित है।

** कोष्ठक ( ) में वर्ष के अन्त तक कुल जारी राशि से कुल व्यय राशि का प्रतिशत अंकित है।

2.2.2 उपरोक्त सारणी के मदवार अंकित समंकों का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

क– **रिलीज राशि** :

राज्य सरकार द्वारा आवंटित/रिलीज राशि प्रतिवर्ष भिन्न–भिन्न रही है। वर्ष 2004–05 में मात्र 260.01 लाख रूपये जारी किये गये। वर्ष 2005–06 में 2800 लाख रूपये एवं वर्ष 2006–07 में मात्र 1000 लाख रूपये रिलीज किये गये। वर्ष 2007–08 में यह राशि बढ़कर 6000 लाख रूपये हो गयी एवं वर्ष 2008–09 में 2743.12 लाख रूपये जारी किये गये। इस प्रकार योजनान्तर्गत गत पांचों वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 12803.13 लाख रूपये राशि रिलीज की गयी। वर्ष 2007–08 में सबसे ज्यादा 6000.00 लाख रूपये रिलीज किये गये।

ख–**जनभागीदारी** :

राज्य सरकार द्वारा रिलीज राशि के अनुसार ही जनभागीदारी राशि प्राप्त हुई अर्थात जिन वर्षों में अधिक राशि रिलीज की गयी, उन वर्षों में जन भागीदारी से भी अधिक राशि प्राप्त की गयी अथवा इसे यह भी कहा जा सकता है कि जनभागीदारी से प्राप्त राशि के अनुपात में ही राज्य सरकार द्वारा राशि रिलीज की गयी। योजना के प्रारम्भ वर्ष से वर्ष 2008–09 अर्थात पांचों वर्षों में राज्य में व्यय की गयी राशि 15952. 56 लाख में से 4622.96(28.98 प्रतिशत) लाख रूपये जनभागीदारी से प्राप्त राशि के व्यय किये गये इससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत निर्धारित जन सहभागिता 20 से 30 प्रतिशत तक के अनुसार 28.98 प्रतिशत राशि जनभागीदारी की थी।

ग– **व्यय राशि** :

सारणी 1 के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक राज्य स्तर पर वर्षवार क्रमशः 147.01, 3020.95, 1571.15, 4964.57 एवं 6248.88 लाख रूपये व्यय किये गये जिनमें क्रमशः 59.12, 950.16, 378.33, 1640.51 एवं 1594.84 लाख रूपये जनभागीदारी से प्राप्त हुए। योजनान्तर्गत विभाग के पास उपलब्ध राशि में से वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक क्रमशः 33.80, 70.55, 82.55, 66.36 एवं 88.49 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। वर्ष 2004–05 में 33.80 प्रतिशत राशि व्यय की गयी जो वर्ष 2008–09 में 88.49 प्रतिशत हो गयी केवल वर्ष 2007–08 में 66.36 प्रतिशत राशि ही व्यय की गयी थी इस वर्ष सबसे ज्यादा 6000.00 लाख रूपये रिलीज किये गये थे। योजनान्तर्गत वर्षवार रिलीज की गयी राशि एवं वर्षवार व्यय की गयी राशि के समंको के अनुसार वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक वर्षवार रिलीज राशि में से क्रमशः 33.80, 73.96, 119.28, 55.40, 169.66 प्रतिशत राशि व्यय की गयी इससे स्पष्ट है वर्ष 2004–2005,2005–06 एवं 2007–08 में रिलीज राशि से कम राशि व्यय की गयी तथा रिलीज राशि अवशेष रही जबकि वर्ष 2006–07, एवं 2008–09 में रिलीज राशि से ज्यादा राशि व्यय की गयी तथा इन वर्षों में पूर्व वर्षों की

अवशेष राशि भी व्यय की गयी। कार्यकारी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार से आवंटित/रिलीज राशि की ही मॉनिटरिंग की जाती है और व्यय का प्रतिशत भी राज्य सरकार द्वारा जारी राशि से ही निकाला जाता है। अतः विभाग द्वारा राज्य द्वारा जारी राशि के उपयोग के साथ–साथ जन भागीदारी से प्राप्त राशि की भी मॉनिटरिंग की जाए ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि जिले में प्राप्त/जमा की गयी राशि के विपरीत कितनी राशि व्यय की गयी ? परिशिष्ट–''क'' में वर्षवार एवं जिलेवार व्यय की गयी राशि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ज्यादातर जिलों में हर वर्ष व्यय की गयी राशि में समान प्रवत्ति नहीं है। किसी जिले में वर्ष 2005–06 में ज्यादा राशि व्यय की गयी तो 2006–07 में काफी कम राशि व्यय की गयी एवं वर्ष 2007–08 में ज्यादा व्यय राशि की गयी। ज्यादातर जिलों में वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2007–08 में ज्यादा राशि व्यय की गयी एवं वर्ष 2006–07 में कम राशि व्यय की गयी, जबकि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 के आगे के वर्षों में नियमित रूप से व्यय राशि में वृद्धि होनी चाहिये थी। इससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति हर वर्ष भिन्न–भिन्न रही। इसी प्रकार जिलों में चार वर्षों में व्यय राशि 98.10 लाख रुपये से 679.05 लाख रुपये की बीच व्यय की गयी। कई जिलों में काफी ज्यादा राशि व्यय की गयी एवं कई जिलों में काफी कम राशि व्यय की गयी। इससे स्पष्ट है कि कई जिलों में योजनान्तर्गत प्रगति भिन्न–भिन्न रही, जबकि सभी जिलों में योजना की भावना के अनुरूप कार्य करवाये जाने चाहिए थे। समग्र रूप से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत विभाग ने हर वर्ष कम/ज्यादा राशि का आवंटन किया तथा जिलों में भौतिक प्रगति कम/ज्यादा होने के कारण जिलों में भी हर वर्ष आवंटन राशि कम/ज्यादा की गयी। इससे स्पष्ट है कि जिन जिलों में जन–भागीदारी ज्यादा रही उन जिलों में प्रगति अच्छी रही तथा जिन जिलों में जन–भागीदारी कम रही वहाँ कम प्रगति हुई।

2.2.3 भौतिक प्रगति :

योजनान्तर्गत योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2008–09 तक स्वीकृत कार्य एवं पूर्ण किये कार्यों की भौतिक प्रगति का विवरण वर्षवार निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:

सारणी संख्या – 3

स्वीकृत कार्य एवं पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं	वर्ष	वर्षवार कार्यों की संख्या					
		पूर्व वर्ष के अपूर्ण कार्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य	कुल कार्य (3+4)	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	प्रगति पर रहे कार्य	प्रारम्भ नहीं किये एवं निरस्त किये गये कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2004–05	–	104	104	22	82	–
2	2005–06	82	1404	1486	775	693	18
3	2006–07	693	337	1030	669	263	98
4	2007–08	263	2545	2808	1062	1504	242
5	2008–09	1504	1778	3282	2353	640	289
	योग	**–**	**6168**	**–**	**4881**	**640**	**647**

उपरोक्त सारणी में अंकित समंकों से ज्ञात होता है कि 6168 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से मार्च,2009 तक 4881 (79.13 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये, 640 (10.38 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थे एवं शेष 647 (10.49 प्रतिशत) कार्य या तो प्रारम्भ ही नहीं किए गये अथवा निरस्त किये गये। कुल स्वीकृत कार्यों में से पांचों वर्षों में 79.13 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गयी। वर्षवार अंकित समंकों के अनुसार पांचों वर्षें में से वर्ष 2007–08 में सबसे ज्यादा 2545 कार्य स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2008–09 में सबसे ज्यादा 2353 कार्य पूर्ण किये गये।

2.3.0 चयनित जिलों की प्रगति :

2.3.1 चयनित जिले की वित्तीय प्रगति :

अध्ययन हेतु चयनित जिलों अजमेर, दौसा, जैसलमेर एवं उदयपुर जिले कीवर्ष 2004–05 से 2006–07 तक की इकजाई वित्तीय प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी संख्या – 4

जिलेवार इकजाई वित्तीय प्रगति (2004–05 से वर्ष 2007–08 तक)

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	वर्ष के दौरान जारी राशि	व्यय		कुल व्यय (4+5)	राजकीय रिलीज राशि से व्यय का प्रतिशत (4/3x100)
			राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	287.00	262.07	99.30	361.37	91.31
2	दौसा	142.20	126.71	44.25	170.96	89.11
3	जैसलमेर	103.52	68.70	29.40	98.10	66.36
4	उदयपुर	493.83	406.02	143.71	549.73	88.22
	योग :	**1026.55**	**863.50**	**316.66**	**1180.16**	**84.12**

उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण इंगित करता है कि :–

(i) योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक सर्वाधिक 493.83 लाख रूपये उदयपुर जिले को जारी किये गये। अजमेर जिले को 287.00 लाख रूपये, दौसा को 142.20 लाख रूपये एवं जैसलमेर जिले को मात्र 103.52 लाख रूपये जारी किये गये। चयनित जिलों में रिलीज राशि को काफी अन्तर रहा है। अतः विभाग द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्ड़ (आबादी) के अनुसार राशि रिलीज करने एवं उसी के अनुरूप व्यय करवाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

(ii) चारों जिलों में राज्य सरकार के अंशदान की कुल उपलब्ध राशि 1026.55 लाख रूपये के विरूद्ध 863.50(84.12) लाख रूपये व्यय किये गये हैं। राजकीय रिलीज राशि से व्यय का प्रतिशत सर्वाधिक 91.31 प्रतिशत अजमेर जिले में व तत्पश्चात् दौसा में 89.11 प्रतिशत, उदयपुर में 88.22 प्रतिशत व न्यूनतम 66.36 प्रतिशत जैसलमेर जिले में रहा। सबसे कम रिलीज राशि वाले जिले में व्यय का प्रतिशत भी कम रहना वास्तव में विचारणीय है। विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जाकर इस राशि का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(iii) योजनान्तर्गत गत चार वर्षों के व्यय 1180.16 लाख रूपये में जनभागीदारी 316. 66 लाख रूपये अर्थात 26.83 प्रतिशत रही है, जो योजना के प्रावधानानुसार सही प्रतीत होती है।

2.3.2 वर्षवार वित्तीय प्रगति प्रगति :

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक की चयनित जिलों की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि योजनान्तर्गत चयनित जिलों में वर्षवार कितनी राशि व्यय की गयी।

सारणी संख्या – 5
चयनित जिलों की इकजाई वर्षवार वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान जारी राशि	व्यय		कुल व्यय (4+5)	राजकीय रिलीज राशि से व्यय का प्रतिशत (4/3 X 100)
			राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7
1	2004–05	18.71	2.10	0.90	3.00	11.22
2	2005–06	289.25	274.66	83.68	358.34	94.96
3	2006–07	126.04	114.09	44.02	158.11	90.51
4	2007–08	592.55	472.65	188.06	660.71	79.77
	योग :	**1026.55**	**863.50**	**316.66**	**1180.16**	**84.12**

उपर्युक्त सारिणी को देखने से यह स्पष्ट है कि :–

(i) वर्ष 2004–05 योजना का प्रारम्भ वर्ष होने के कारण चयनित जिलों को मात्र 18.71 लाख रूपये ही जारी किये गये और उसमें से भी वर्ष के दौरान मात्र 2.10 (11.22 प्रतिशत) लाख रूपये ही व्यय किये जा सके। 0.90 लाख रूपये की जनभागीदारी को सम्मिलित करते हुए यह व्यय 3.00 लाख रूपये था, लेकिन वर्ष 2005–06 में योजना ने गति पकड़ी। वर्ष के दौरान उपलब्ध 289.25 लाख रूपये की राशि में से 274.66 (94.96 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किया गया। इस वर्ष जनभागीदारी 83.68 लाख रुपये रही। जो रिलीज राशि का 28.93 प्रतिशत था।

(ii) वर्ष 2006–07 में कार्यक्रम की गति में पुनः कमी आयी। राज्य सरकार से मात्र 126.04 लाख रूपये की राशि जारी की गयी जिसमें से 114.09 (90.51%) लाख रूपये व्यय किये गये। 44.02 लाख रूपये की जनभागीदारी राशि को सम्मिलित करते हुए कुल 158.11 लाख रूपये व्यय किये गये।

(iii) चारों जिलों में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में 592.55 लाख रूपये की राशि जारी की गयी जिसके विरूद्ध 472.65 लाख रूपये (79.77 प्रतिशत) व्यय किये गये। जनभागीदारी 188.06 लाख रूपये प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष 2007–08 में सबसे ज्यादा राशि जारी की गयी लेकिन उसमें से 79.77 प्रतिशत राशि ही व्यय की गयी।

(iv) संक्षेप में कहा जा सकता है कि चयनित जिलों की वर्षवार प्रगति में कोई एकरूपता नहीं पायी गयी। फलतः चयनित जिलेवार एवं वर्षवार प्रगति जानना आवश्यक हो गया कि किस जिले की प्रगति संतोषजनक रही एवं किस जिले की प्रगति न्यूनतम रही। जिलेवार एवं वर्षवार वित्तीय प्रगति निम्न अनुच्छेदों में दर्शायी गयी है।

2.3.3 चयनित जिलों की वर्षवार प्रगति :

गुरू गोलवलकर योजना की चयनित जिलों की वर्ष 2004–05 की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 6

चयनित जिलों की (2004–05) की वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	जिला	वर्ष के दौरान जारी राशि	व्यय		कुल व्यय (4+5)	राजकीय रिलीज राशि से व्यय का प्रतिशत (4/3 x 100
			राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	4.83	2.10	0.90	3.00	43.48
2	दौसा	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	जैसलमेर	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	उदयपुर	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग :	**18.71**	**2.10**	**0.90**	**3.00**	**11.22**

वर्ष 2004–05 में कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के कारण तीन जिलों की प्रगति शून्य रही। अजमेर जिले में मात्र 3 लाख रूपये व्यय किये गये।

चयनित जिलों की वर्ष 2005–06 की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 7

चयनित जिलों की (2005–06) की वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	अवशेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय		कुल व्यय (6+7)	कुल राशि से व्यय का प्रतिशत (6/5 X 100)
					राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	2.73	84.52	87.25	36.75	14.75	51.50	42.12
2	दौसा	4.36	38.19	42.55	12.54	3.46	16.00	29.47
3	जैसलमेर	1.60	27.94	29.54	23.80	10.16	33.96	80.57
4	उदयपुर	7.92	138.60	146.52	201.57	55.31	256.88	137.57
	योग :	**16.61**	**289.25**	**305.86**	**274.66**	**83.68**	**358.34**	**89.80**

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यक्रम की प्रगति में जिलेवार अत्यधिक असमानताएँ हैं। जहाँ जैसलमेर जिले में न्यूनतम मात्र 27.94 लाख जारी किये गये वहीं उदयपुर में 138.60 लाख रूपये जारी कर उपलब्ध राशि 146.52 लाख रूपये के विरूद्ध 201.57 लाख रूपये (137.57 प्रतिशत) व्यय कर दिये गये जबकि कम राशि रिलीज के बावजूद जैसलमेर में व्यय का प्रतिशत 80.57 था। दौसा एवं अजमेर जिलों की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक रही क्योंकि वहाँ उपलब्ध राशि का क्रमशः मात्र 29.47 प्रतिशत एवं 42.12 प्रतिशत ही व्यय किया गया। जनभागीदारी के व्यय का प्रतिशत सभी जिलों में अलग–अलग है। एकरूपता का अभाव है जिससे किसी भी प्रकार का निष्कर्ष निकाला जाना सम्भव नहीं है। विभाग द्वारा सभी जिलों को जनभागीदारी सें प्राप्त आय के व्यय की मोनिटरिंग हेतु निर्देश दिए जाना प्रस्तावित है।

चयनित जिलों की वर्ष 2006–07 की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 8

चयनित जिलों की (2006–07) की वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	अवशेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय		कुल व्यय (6+7)	कुल राशि से व्यय का प्रतिशत (6/5 X 100)
					राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	50.50	16.50	67.00	62.81	30.19	93.00	93.75
2	दौसा	30.01	17.80	47.81	45.69	11.44	57.13	95.56
3	जैसलमेर	5.74	45.77	51.51	5.59	2.39	7.98	10.85
4	उदयपुर	–55.05	45.97	–9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग :	**31.20**	**126.04**	**157.24**	**114.09**	**44.02**	**158.11**	**72.56**

उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वर्ष 2006–07 में जैसलमेर एवं उदयपुर जिलों में 45 लाख रूपये से भी अधिक की राशि जारी की गयी जबकि अजमेर एवं दौसा में लगभग 16 से 17 लाख रूपये ही जारी किये गये। उदयपुर जिले में ऋणात्मक अवशेष के कारण कोई व्यय नहीं किया गया। जबकि जैसलमेर में आवंटित राशि से व्यय का प्रतिशत मात्र 10.85 प्रतिशत था। अजमेर एवं दौसा में आवंटित राशि से व्यय राशि का प्रतिशत क्रमशः 93.75 एवं 95.56 रहा है। अतः जहाँ तक सम्भव हो वर्ष के दौरान आवंटित राशि उसी वित्तीय वर्ष में खर्च हो जानी चाहिये।

चयनित जिलों की वर्ष 2007–08 की प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 9
चयनित जिलों की (2007–08) की वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	अवशेष	वर्ष के दौरान जारी राशि	कुल राशि (3+4)	व्यय		कुल व्यय (6+7)	कुल राशि से व्यय का प्रतिशत (6/5 X 100)
					राजकीय अंशदान	जन भागीदारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	4.19	181.15	185.34	160.41	53.46	213.87	86.55
2	दौसा	2.12	81.85	83.97	68.48	29.35	97.83	81.55
3	जैसलमेर	45.92	28.21	74.13	39.31	16.85	56.16	53.03
4	उदयपुर	–9.08	301.34	292.26	204.45	88.40	292.85	69.95
	योग :	**43.15**	**592.55**	**635.70**	**472.65**	**188.06**	**660.71**	**74.35**

उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2007–08 में उदयपुर जिले को सर्वाधिक 301.34 लाख आवंटित किये गये एवं जैसलमेर को मात्र 28.21 लाख रूपये। संभवतया राशि का आवंटन स्वीकृत कार्यों या कार्यों के पेटे जमा की गयी राशि के आधार पर किया जाता है। अतः आवंटित राशि में इतनी अधिक भिन्नता होती है। कम राशि आवंटित किये जाने के बावजूद भी जैसलमेर में व्यय का प्रतिशत कुल आवंटित राशि से 53.03 प्रतिशत ही रहा जो चारों चयनित जिले के प्रतिशत से काफी कम था।

2.4.0 चयनित जिलों की भैतिक प्रगति :

2.4.1 जिलेवार भौतिक प्रगतिः

योजना के तहत चयनित 4 जिलों क्रमशः अजमेर दौसा, जैसलमेर एवं उदयपुर जिलों की गत चार वर्षों (2004–05 से 2007–08) तक की इकजाई भौतिक प्रगति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है –

सारणी संख्या – 10

चयनित जिलों की इकजाई भौतिक प्रगति (वर्ष 2004–05 से 2007–08)

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत कार्य	पूर्ण किये गये कार्य	पूर्ण कार्यों का कुल कार्यों से प्रतिशत	अपूर्ण कार्य (संख्या)	कार्य प्रारम्भ नहीं/निरस्त किये गये कार्य
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	210	140	66.67	46	24
2	दौसा	76	49	64.47	27	–
3	जैसलमेर	31	22	70.97	9	–
4	उदयपुर	230	146	63.48	69	15
	योग :	547	357	65.27	151	39

उपर्युक्त सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि चारों संदर्भित वर्षों में चयनित चारों जिलों में 547 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 357 (65.27 प्रतिशत) कार्य पूर्ण किये गये, 151 (27.60 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर एवं शेष 39 (7.13 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे या निरस्त कर दिये गये। कार्यों की दृष्टि से सर्वाधिक कार्य (230) उदयपुर जिले में स्वीकृत किये गये हैं तत्पश्चात् अजमेर में 210, दौसा में 76 एवं जैसलमेर में मात्र 31 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। कार्यों की स्वीकृति वित्तीय प्रगति के अनुसार ही है। सभी जिलों में 63.48 से 70.97 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये।

2.4.2 योजना के तहत चयनित जिलों की वर्षवार भौतिक प्रगति :

चयनित चारों जिलों की प्रत्येक वर्ष की भौतिक प्रगति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है जो कार्यक्रम की वर्षवार प्रगति को दर्शाता है –

सारणी संख्या – 11

चयनित जिलों की वर्षवार भौतिक प्रगति (वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक)

(संख्या)

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत कार्य	वर्ष के अन्त तक स्वीकृत कुल कार्य (संचयी)	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	वर्ष के अन्त तक पूर्ण किये गये कार्य (संचयी)	वर्ष के अन्त तक स्वीकृत कार्यों से पूर्ण किये गये कार्यों का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2004–05	6	6	1	1	16.67
2	2005–06	190	196	110	111	56.63
3	2006–07	42	238	70	181	76.05
4	2007–08	309	547	176	357	65.26
	योग :	**547**		**357**		**65.26**

वर्षवार चयनित चारों जिलों की इकजाई प्रगति यह दर्शाती है कि योजनान्तर्गत 65.26 प्रतिशत कार्य चारों वर्षों में पूर्ण किये गये लेकिन वर्षवार विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 में कुल 6 कार्य ही स्वीकृत किये गये और उसमें से भी मात्र एक कार्य पूर्ण किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2005–06 तक 196 कार्य, वर्ष 2006–07 तक 238 कार्य एवं वर्ष 2007–08 तक 547 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें वर्षवार क्रमशः 56.63, 76.05 एवं 65.26 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2006–07 में केवल 42 कार्य ही स्वीकृत किये गये एवं वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्यो को पूर्ण किया गया। सबसे ज्यादा 309 कार्य वर्ष 2007–08 में किये गये उनमें से 176 (56.96 प्रतिशत) कार्य ही पूर्ण किये गये।

2.4.3 योजनान्तर्गत चयनित जिलों की वर्षवार भौतिक प्रगति :

वर्ष 2004–05 में कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के कारण चयनित जिले अजमेर एवं उदयपुर में 3 – 3 कार्य स्वीकृत किये गये एवं अजमेर जिले का एक कार्य पूर्ण किया गया। शेष वर्षों की (2005–06, 2006–07 एवं 2007–08) भौतिक प्रगति क्रमशः सारणी संख्या 11, 12 एवं 13 में दर्शायी गयी है :–

सारणी संख्या – 12

चयनित जिलों की इकजाई भौतिक प्रगति (वर्ष 2005–06)

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	वर्ष पूर्व के अधूरे कार्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य	कुल कार्य (3+4)	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	पूर्ण कार्यों का कुल कार्यों से प्रतिशत	प्रगति पर	प्रारम्भ नहीं/निरस्त कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	2	59	61	12	19.67	45	4
2	दौसा	0	15	15	7	46.67	8	–
3	जैसलमेर	0	12	12	3	25.00	9	–
4	उदयपुर	3	104	107	88	82.24	19	–
	योग :	**5**	**190**	**195**	**110**	**56.41**	**81**	**4**

सारणी संख्या – 13

चयनित जिलों की इकजाई भौतिक प्रगति (वर्ष 2006–07)

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	पूर्व वर्ष के अधूरे कार्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	पूर्ण कार्यों का कुल कार्यों से प्रतिशत	कार्य प्रगति पर	प्रारम्भ नहीं/निरस्त किये गये कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	45	33	78	44	56.41	14	20
2	दौसा	8	9	17	10	58.82	7	–
3	जैसलमेर	9	0	9	4	44.44	5	–
4	उदयपुर	19	0	19	–	–	12	7
	योग :	**81**	**42**	**123**	**58**	**47.15**	**38**	**27**

सारणी संख्या – 14

चयनित जिलों की इकजाई भौतिक प्रगति (वर्ष 2007–08)

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	पूर्व वर्ष के अधूरे कार्य	वर्ष के दौरान स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य	पूर्ण कार्यों का कुल कार्यों से प्रतिशत	प्रगति पर	प्रारम्भ नहीं/निरस्त किये गये कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	14	115	129	83	64.34	46	–
2	दौसा	7	52	59	32	54.24	27	–
3	जैसलमेर	5	19	24	15	62.50	9	–
4	उदयपुर	12	123	135	46	34.07	81	8
	योग :	**38**	**309**	**347**	**176**	**50.72**	**163**	**8**

उपर्युक्त तीनों सारणियों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2005–06 में सर्वाधिक कार्य (104) उदयपुर में एवं न्यूनतम कार्य (12) जैसलमेर में, वर्ष 2006–07 में अधिकतम (33) कार्य अजमेर में, न्यूनतम शून्य कार्य जैसलमेर एवं उदयपुर एवं वर्ष 2007–08 में अधिकतम 123 कार्य उदयपुर एवं न्यूनतम 19 कार्य जैसलमेर जिले में स्वीकृत किये गये।

2.5.0 चयनित पंचायत समितियों की प्रगतिः

2.5.1 अध्ययन हेतु चयनित 8 पंचायत समितियों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

- चयनित पंचायत समितियों में कुल 376 ग्राम पंचायत थी उनमें से मार्च, 2008 तक 132(35.11 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों में योजनान्तर्गत कार्य करवाये गये। कम ग्राम पंचायतों से कार्य करवाने के मुख्य कारण पंजीकृत कार्यों की संख्या ज्यादा होना एवं योजनान्तर्गत राशि कम प्राप्त होना तथा जनसहयोग राशि जमा कराने में असमर्थ रहना रहा।
- चयनित पंचायत समितियों में 1753 ग्राम थे जिनमें से 176 (10.04 प्रतिशत) ग्रामों में कार्य करवाये गये। इससे स्पष्ट है योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्राम पंचायतों में भी सभी ग्रामों को लाभान्वित नहीं किया गया एवं लाभान्वित ग्रामों में एक से ज्यादा कार्य करवाये गये।
- कार्यों का चयन एवं स्थल का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया गया तथा कार्यों का तकमीना पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा तैयार करने के पश्चात् वांछित दस्तावेज एवं पंजीयन शुल्क जमा करवाकर कार्यों का पंजीयन करवाया गया।
- कार्यों की स्वीकृति, पंजीयन की वरीयता एवं जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व में कोई कार्य नहीं करवाये गये, के आधार पर किया गया।

2.5.2 प्राप्त राशि एवं व्यय राशि

चयनित जिलों की चयनित पंचायत समितियों में प्राप्त राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया जा रहा है:–

सारणी संख्या – 15

जिलेवार चयनित पंचायत समितियों की वित्तीय प्रगति

(वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक)

(राशि रुपये लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित पंचायत समितियों की संख्या	प्राप्त राशि			व्यय राशि	प्राप्त राशि से व्यय राशि का प्रतिशत
			राज्यांश	जनसहयोग	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	2	56.83	28.05	84.88	82.59	97.30
2	दौसा	2	69.50	28.77	98.27	77.88	79.25
3	जैसलमेर	2	95.99	40.76	136.75	84.49	61.78
4	उदयपुर	2	287.86	91.51	379.37	255.44	67.33
	योग :	**8**	**510.18**	**189.09**	**699.27**	**500.40**	**71.56**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि अध्ययन हेतु चयनित पंचायत समितियों में योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक 699.27 लाख रूपये प्राप्त हुये उनमें से 510.18(72.96 प्रतिशत) लाख रूपये राज्यांश था एवं 189.09 (27.04 प्रतिशत) लाख रूपये जन सहयोग से प्राप्त हुये। प्राप्त राशि में से 71.56 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। चयनित जिलों की पंचायत समितियों में सबसे कम 61.78 प्रतिशत राशि जिला जैसलमेर एवं अजमेर जिले के पंचायत समितियों में सबसे ज्यादा 97.30 प्रतिशत राशि व्यय की गयी। व्यय कम होने का मुख्य कारण कार्यों के प्रगति पर होने एवं अनुमानित राशि से कम राशि व्यय होने के साथ साथ कार्यकारी एजेन्सीयों द्वारा धीमी गति से कार्य करना तथा कार्यों की वित्तीय स्वीकृति वर्ष के अन्तिम माहों में जारी किया जाना रहा।

2.5.3 पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्य विवरण:

योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक चयनित पंचायत समितियों पंजीकृत कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों का जिलेवार विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या – 16

पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्य संख्या (वर्ष 2004–05 से 2007–08)

(संख्या)

क्र. सं.	जिला	पंजीकृत कार्य	स्वीकृत कार्य	पंजीकृत कार्य से स्वीकृत कार्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	अजमेर	77	66	85.71
2	दौसा	61	49	80.33
3	जैसलमेर	205	34	16.59
4	उदयपुर	135	107	79.26
	योग :	**478**	**256**	**53.56**

उपरोक्त सरणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित पंचायत समितियों से वर्ष 2007–08 तक पंजीकृत कार्यों में से 53.56 प्रतिशत कार्य स्वीकृत किये गये। जिला अजमेर, दौसा एवं उदयपुर की पंचायत समितियों में 79.26 प्रतिशत से 85.71 प्रतिशत के बीच कार्य स्वीकृत किये जबकि जैसलमेर में केवल 16.59 प्रतिशत कार्य ही स्वीकृत किये गये। पंजीकृत से स्वीकृत कार्य कम होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैः–

1. योजनान्तर्गत राशि का आवंटन कम होना।
2. वांछित जनसहयोग राशि प्राप्त नहीं होने से स्वीकृति जारी नहीं करना।
3. लाभान्वित ग्राम पंचायतों के ग्रामों के ही कई कार्य पंजीकृत होने के कारण योजना के निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं होना।

इससे स्पष्ट है कि जिन जिलों/पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों में योजना के प्रति जागरूकता थी वहाँ पर ज्यादा कार्य पंजीकृत करवाये गये, परन्तु आवंटन राशि कम होने के कारण स्वीकृतियाँ जारी नहीं हो सकी तथा कई जिलों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में कार्य पंजीकृत ही नहीं करवाये गये जिसके कारण उन क्षेत्रों में स्वीकृतियाँ जारी नहीं हुए। योजना का उद्देश्य राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में जन–भागीदारी से उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करवाये जाने थे। अतः विभाग द्वारा जिन जिलों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में कार्य पंजीकृत नहीं करवाये गये उन क्षेत्रों में जन–सहयोग हेतु प्रेरित कर कार्य पंजीकृत करवाये जाने चाहिए।

2.6.0 चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति :

2.6.1 ग्राम पंचायतों में लाभान्वित ग्रामों एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण :

अध्ययन हेतु चयनित पंचायत समितियों की चयनित ग्राम पंचायतों में से ग्रामों, योजनान्तर्गत लाभान्वित ग्रामों तथा पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्यों की ग्रामवार प्राप्त सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा हैः

सारणी संख्या – 17

चयनित जिलों की चयनित ग्राम पंचायतों में मार्च 2008 तक पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्यों का विवरण (वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक)

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों में कुल ग्राम	योजनान्तर्गत पंजीकृत करवाये गये कार्यों के ग्रामों की संख्यो	योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों के ग्रामों की संख्यो	पंजीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अजमेर	4	17	14	14	25	25
2	दौसा	11	36	12	12	22	20
3	जैसलमेर	10	21	18	12	67	20
4	उदयपुर	3	15	6	6	21	21
	योग :	**28**	**89**	**50**	**44**	**135**	**86**

उपरोक्त सारणी में अंकित समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

1. अध्ययन हेतु चयनित 28 ग्राम पंचायतों में 89 ग्राम थे जिनमें से योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक 50 (56.18) ग्रामों में कार्य पंजीकृत करवाये गये तथा 44 (49.44) ग्रामों में कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। इससे स्पष्ट होता है कि योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के काफी कम ग्रामों में कार्य करवाये गये।

2. कार्य पंजीकृत करवाये गये 50 ग्रामों में से 44 (88.00) ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये। पंजीकृत करवाये गये 135 कार्यों में से 86 (63.70) कार्य स्वीकृत किये गये। इससे स्पष्ट है कि चयनित ग्राम पंचायतों में कम ग्रामों के कार्य पंजीकृत करवाये गये, पंजीकृत करवाये गये कार्यों में भी कम कार्य स्वीकृत किये गये।

3. जिला उदयपुर एवं अजमेर में पंजीकृत करवाये गये सभी कार्य स्वीकृत किये गये तथा जिला दौसा में पंजीकृत करवाये गये 22 कार्यों में से 20 कार्य स्वीकृत किये गये जबकि जिला जैसलमेर में 21 ग्रामों में से 18 ग्रामों के 67 कार्य पंजीकृत करवाये गये जिनमें से 12 ग्रामों के केवल 20 कार्य ही स्वीकृत किये गये। जिला जैसलमेर में अत्याधिक 67 कार्य पंजीकृत करवाये गये जिनमें से केवल 29.85 प्रतिशत कार्य ही स्वीकृत किये गये। इससे स्पष्ट है कि जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायतों में कई कार्य पंजीकृत करवा दिये गये जिससे पंजीकृत कार्यों में से योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार कम कार्य स्वीकृत करवाये गये।

2.6.2 पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्यः

उपरोक्त वर्णित विश्लेषण से केवल कुल पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्यों का ही विश्लेषण किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि हर ग्राम में कितने कार्य पंजीकृत किये गये एवं उनमें से कितने कार्यों की स्वीकृति जारी हुई। इस तथ्य को ज्ञात करने हेतु चयनित जिलों का ग्रामानुसार, पंजीकृत किये गये एवं स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या – 18
पंजीकृत एवं स्वीकृत कार्यों की संख्यानुसार ग्रामों का विवरण

(संख्या)

क्र स	चयनित जिला	ग्रामों की संख्या जिनमें कार्य पंजीकृत करवाये गये	पंजीकृत कार्यों की संख्यानुसार ग्रामों की संख्या				ग्रामों की संख्या जिनमे कार्य स्वीकृत किये गये	स्वीकृत कार्यों की संख्यानुसार ग्रामों की संख्या			
			एक कार्य	दो कार्य	तीन कार्य	तीन से ज्यादा कार्य		एक कार्य	दो कार्य	तीन कार्य	तीन से ज्यादा कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अजमेर	14	9 (64.28)	2 (14.29)	2 (14.29)	1 (7.14)	14	9 (64.28)	2 (14.19)	2 (14.29)	1 (7.14)
2	दौसा	12	8 (66.67)	1 (8.33)	–	3 (25.00)	12	8 (66.66)	2 (16.67)	–	2 (16.67)
3	जैसलमेर	18	4 (22.22)	3 (16.67)	5 (27.28)	6 (33.33)	12	7 (58.34)	3 (25.00)	1 (8.33)	1 (8.33)
4	उदयपुर	6	3 (50.00)	–	1 (16.67)	2 (33.33)	6	3 (50.00)	–	1 (16.67)	2 (33.33)
	योग :	**50**	**24 (48.00)**	**6 (12.00)**	**8 (16.00)**	**12 (24.00)**	**44**	**27 (61.36)**	**7 (15.91)**	**4 (9.09)**	**6 (13.64)**

कोष्ठक ( ) में कुल पंजीकृत एवं स्वीकृत ग्रामों की संख्या से कार्य की संख्यानुसार प्रतिशत अंकित है।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि :–

1. योजनान्तर्गत 50 ग्रामों के कार्य पंजीकृत करवाये गये थे उनमें से 24(48.00 प्रतिशत)ग्रामों में एक–एक, 6(12.00 प्रतिशत) ग्रामों में दो–दो, 8 (16.00 प्रतिशत) ग्रामों में तीन–तीन एवं 12 (24.00 प्रतिशत) ग्रामों में तीन से अधिक कार्य पंजीकृत करवाये गये थे। चयनित जिला जैसलमेर सबसे कम 22.22 प्रतिशत ग्रामों में एक कार्य एवं सबसे ज्यादा 33.33 प्रतिशत ग्रामों तीन से ज्यादा कार्य पंजीकृत करवाये जबकि जिला दौसा एवं अजमेर में सबसे ज्यादा क्रमशः 66.67 एवं 64.28 प्रतिशत ग्रामों में एक–एक कार्य तथा जिला अजमेर में सबसे कम 7.14 प्रतिशत ग्रामों में तीन से ज्यादा कार्य पंजीकृत करवाये गये।

2. योजनान्तर्गत 44 ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये उनमें से 61.36, 15.91, 9.09 एवं 13.54 प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः एक कार्य, दो कार्य, तीन कार्य एवं तीन से अधिक कार्य स्वीकृत किये गये। पंजीकृत करवाये गये ग्रामों में क्रमशः 48.00 एवं 12.00 प्रतिशत ग्रामों में क्रमशः एक व दो कार्य पंजीकृत करवाये गये थे वहीं पर इनमें क्रमशः 61.36 एवं 15.91 प्रतिशत ग्रामों में एक व दो कार्य स्वीकृत किये गये जबकि तीन एवं तीन से अधिक कार्य क्रमशः 16.00 एवं 24.00 प्रतिशत ग्रामों में पंजीकृत करवाये गये थे वहां पर क्रमशः 9.09 एवं 13.64 प्रतिशत ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये। इससे स्पष्ट है कि कार्य स्वीकृति में एक एवं दो कार्यों वाले ग्रामों को ज्यादा प्राथमिकता दी गयी जिला जैसलमेर में तीन व तीन से अधिक कार्य क्रमशः पांच एवं छः ग्रामों में थे उनमें केवल एक–एक कार्य स्वीकृत किये गये। अतः विभाग द्वारा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य पंजीकृत करवाने की कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

———

अध्याय तृतीय

अध्ययन निष्कर्ष

3.1.0 **न्यादर्श स्वरूप :**

3.1.1 अध्याय प्रथम में वर्णित अध्ययन रूपांकन अनुसार अध्ययन हेतु बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धत्ति को अपनाते हुए योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक व्यय की गयी राशि के आधार पर चार जिले यथा अजमेर, दौसा, उदयपुर एवं जैसलमेर का चयन किया गया। चयनित प्रत्येक जिले से मार्च, 2008 तक अधिकतम स्वीकृत कार्यों के आधार पर दो–दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से मार्च, 2008 तक अधिकतम स्वीकृत कार्यों वाली ग्राम पंचायतों का चयन कर न्यूनतम 10–10 कार्यों का तथा प्रत्येक चयनित जिले से चयनित ग्राम पंचायतों में चालू/निर्मित कार्यों में रोजगार प्राप्त करने वाले 20–20 श्रमिकों का चयन कर क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न किया गया। अध्ययन के न्यादर्श के अनुसार क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न करने के दौरान चयनित जिलों में भरी गयी अनुसूचियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

सारिणी–19

भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

चयनित जिले का नाम	प्रलेख अनुसूची			कार्य अनुसूची	श्रमिक अनुसूची	सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची
	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत			
अजमेर	1	2	4	25	20	11
दौसा	1	2	11	20	20	15
जैसलमेर	1	2	10	20	20	11
उदयपुर	1	2	3	20	20	10
योग :	**4**	**8**	**28**	**85**	**80**	**47**

3.1.2 उपरोक्त सारिणी के अनुसार चयनित 4 जिलों में 8 पंचायतसमिति एवं 28 ग्राम पंचायतों से प्रलेख अनुसूची एवं 85 कार्य अनुसूची, 80 श्रमिक अनुसूची एवं 47 सरकारी/ गैर सरकारी अनुसूची भरी गयी।

3.1.3 जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत अनुसूचियों से प्राप्त प्रलेख सूचनाओं का विश्लेषण अध्याय द्वितीय में किया गया तथा कार्य अनुसूची में कार्यस्थल के चयन, स्वीकृति, व्यय राशि, जन भागीदारी, कार्य की भौतिक स्थिति, गुणवत्ता, उपयोगिता एवं रखरखाव इत्यादि विभिन्न पहलुओं की जानकारी क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्राप्त की गयी। श्रमिक एवं सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार कर योजना संबंधी विभिन्न पहलुओं की जानकारी एवं उनके विचार प्राप्त किये गये। प्रस्तुत अध्याय के निष्कर्ष क्षेत्रीय कार्य के दौरान प्राप्त समंक, तथ्य, विचार एवं क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा अवलोकित तथ्यों पर आधारित हैं जिनका मदवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

3.2.0 चयनित कार्यों का सामान्य विवरण :

3.2.1 कार्य का क्षेत्र :

अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों में से 49(57.65 प्रतिशत) कार्य सामान्य क्षेत्र, 24(28.23 प्रतिशत) कार्य अनुसूचित जाति एवं 12(14.12 प्रतिशत) कार्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के थे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 12 कार्यों में से 10 कार्य उदयपुर जिले एवं 2 कार्य दौसा जिले के थे। अनुसूचित जाति क्षेत्र के 24 कार्यों में से सबसे ज्यादा 15 कार्य अजमेर और तत्पश्चात् दौसा, उदयपुर एवं जैसलमेर के क्रमशः 4, 2 एवं 3 कार्य थे।

3.2.2 कार्य का स्थल :

चयनित 85 कार्यों में से 48 (56.47 प्रतिशत) कार्यों का स्थल ग्राम के अन्दर, 14(16.47 प्रतिशत) का ग्राम के किनारे पर, 11(12.94 प्रतिशत) का ग्राम के बाहर, 12(14.12 प्रतिशत) कार्यों का स्थल ग्राम के बाहर बिखरी आबादी (ढाणियों) में था। 28 (32.94 प्रतिशत) कार्यों का स्थल सड़क के पास एवं 57(67.06 प्रतिशत) कार्यों का स्थल सड़क से दूर था।

3.2.3 कार्यों के ग्राम की आबादी :

चयनित 85 कार्यों में से 25(29.41 प्रतिशत) कार्यों के ग्राम की आबादी 1000 से कम, 17(20.00 प्रतिशत) कार्यों के ग्राम की 1000–2000, 5(5.88 प्रतिशत) कार्यों के ग्राम की आबादी 2000–3000, 17(20.00 प्रतिशत) कार्यों के ग्राम की आबादी 3000–4000, 4(4.71 प्रतिशत) कार्यों के ग्रामों की 4000–5000 एवं 17(20.00 प्रतिशत) कार्यों के ग्रामों की आबादी 5000 से ज्यादा थी।

3.2.4 **कार्यों का चयन** :

समस्त चयनित 85 कार्यों का चयन ग्रामसभा के माध्यम से किया गया था।

3.2.5 **कार्यकारी एजेन्सी** :

चयनित 85 कार्यों में से 69(81.18 प्रतिशत) कार्यों की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत व 16(18.82 प्रतिशत) कार्यों की पंजीकृत संस्था/स्वयंसेवी संस्थाऐं थी। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा ही करवाये गये थे।

3.2.6 **कार्यों का स्वामित्व** :

चयनित 85 कार्यों में से 66(77.65 प्रतिशत) कार्यों का स्वामित्व ग्राम पंचायत, 19(22.35 प्रतिशत) कार्यों का स्वामित्व सरकारी विद्यालयों/संस्थाओं का था।

3.2.7 **कार्यों से लाभान्वित क्षेत्र** :

चयनित 85 कार्यों में से 63 (74.12 प्रतिशत)कार्यों से सम्पूर्ण ग्राम एवं शेष 22 (25.88 प्रतिशत) कार्यों से वार्ड/बिखरी आबादी क्षेत्र लाभान्वित हो रहे थे।

3.3.0 **चयनित कार्यों का क्रियान्वयन विवरण** :

3.3.1 **कार्यों का प्रकार** :

अध्ययन हेतु चयनित चारों जिलों के चयनित 85 कार्यों को कार्य की प्रवृति अनुसार निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है।

सारणी संख्या – 20

जिलेवार चयनित कार्यों के प्रकार का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	कार्य का प्रकार	चयनित जिलेवार चयनित कार्यों की संख्या				योग
		अजमेर	दौसा	जैसलमेर	उदयपुर	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	सामुदायिक भवन, सभा भवन, विश्राम गृह, धर्मशाला, चौपाल भवन निर्माण	15	2	5	4	26
2	चार दीवारी निर्माण (विद्यालय, शमशान, कब्रिस्तान)	6	7	2	3	18
3	ग्रेवल, सी.सी.सड़क	3	3	3	11	20
4	विद्यालय/ संस्था कमरा निर्माण	1	4	1	1	7
5	तालाब, तलाई, चादर खुदाई एवं निर्माण	–	1	7	–	8
6	अन्य(हैण्डपम्प,सार्वजनिक पार्क, ट्री–गार्ड एवं पेयजल टंकी)	–	3	2	1	6
कुल योग		**25**	**20**	**20**	**20**	**85**

उपरोक्त सारिणी के अनुसार 85 चयनित कार्यों में से सबसे ज्यादा 26 (30.59 प्रतिशत) कार्य भवन निर्माण सम्बन्धी है जिनमें सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, धर्मशाला, चौपाल भवन निर्माण प्रमुख है तथा 18 (21.18 प्रतिशत) कार्य विद्यालय, शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि की चार दीवारी निर्माण, 20(23.53 प्रतिशत) कार्य ग्रेवल/सी.सी. सड़क निर्माण, 7(8.23 प्रतिशत) कार्य विद्यालय/संस्थाओं के कमरा निर्माण, 8 (9.41 प्रतिशत) कार्य तालाब, तलाई, चादर खुदाई व निर्माण एवं अन्य 6(7.06 प्रतिशत) कार्य हैण्डपम्प, सार्वजनिक पार्क, पेयजल टंकी एवं ट्री–गार्ड के थे। चयनित जिला अजमेर में में सबसे ज्यादा सामुदायिक भवन निर्माण के 15 कार्य, जिला दौसा में 7 कार्य चारदीवारी, जिला जैसलमेर में 7 कार्य तालाब, तलाई खुदाई एवं जिला उदयपुर में सबसे ज्यादा 11 कार्य सड़क निर्माण के थे।

3.3.2 **कार्यों का चयन** :

समस्त कार्यों का चयन ग्राम सभा में आम सहमति से आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव पारित कर किया गया। कार्यों के चयन हेतु आवश्यकताओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. संस्थाओं में चार दीवारी के कार्यों का चयन मुख्यतः भूमि पर अतिक्रमण रोकने, असामाजिक तत्वों के प्रवेश रोकने, पेड़ पौधों की सुरक्षा व पशुओं के आवागमन के रोकने एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था हेतु किए गये।

2. सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य का चयन सार्वजनिक कार्यों हेतु बैठकों के आयोजन, सामाजिक कार्यों यथा शादी, उत्सव, मेले इत्यादि में बाहरी व्यक्तियों के ठहरने, यात्रियों के विश्राम करने इत्यादि की सुविधा हेतु किया गया।

3. तालाब, तलाई खुदाई के निर्माण/मरम्मत के कार्य उनकी सुरक्षा करने के साथ साथ जल भराव क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक थे ताकि पशुओं हेतु पानी की व्यवस्था हो सके।

4. विद्यालयों/संस्थाओं में समुचित कमरों का अभाव था, अतः पढ़ाई इत्यादि की समुचित व्यवस्था हेतु कमरा निर्माण के कार्य आवश्यक थे।

5. आवागमन सुविधा, पानी के समुचित निकास, आम रास्ते में गन्दगी एवं कीचड़ को रोकने के लिये सड़क निर्माण कार्य आवश्यक थे।

6. उद्यान, घनी आबादी क्षेत्र में खुली, हरी भरी जगह नहीं होने के कारण सार्वजनिक/मिनी उद्यान के कार्य चयन किये गये।

7. खारा पानी होने के कारण मीठे पानी की सुविधा हेतू पेयजल टंकी निर्माण एवं पेयजल सुविधा हेतु हैण्डपम्प सम्बन्धी कार्य चयन किये गये।

8. पेड़ पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड का कार्य चयन किया गया।

समस्त 47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना तथा कार्य का चयन आवश्यकतानुसार एवं कार्यस्थल उपयुक्त स्थान पर होना अवगत कराया। संक्षेप में योजनान्तर्गत समस्त कार्यों का चयन क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किया गया।

3.3.3 कार्यों का पंजीकरण :

योजनान्तर्गत ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों का पंजीकरण पंचायत समिति में प्रत्येक कार्य हेतु 5000 रूपये जमा करवाकर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर करवाया जाता है। पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण शुल्क, जमा चालान की प्रति, ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति, कार्य स्थल का पट्टा एवं नक्शा, अनुमानित कार्य लागत, कार्य का सार्वजनिक हित में होने का प्रमाण पत्र, जन सहयोग का शपथ पत्र एवं जनसंख्या सम्बन्धी प्रमाण पत्र के दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करने होते हैं। समस्त चयनित 85 कार्यों के पंजीयन हेतु प्रत्येक कार्य के 5000/– रूपये जमा करवाकर वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंजीयन करवाया गया। अध्ययन हेतु चयनित कार्यों के पंजीयन वर्ष का जिलेवार विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या – 21

जिलेवार एवं वर्षवार पंजीकृत चयनित कार्यों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार पंजीकृत कार्यों की संख्या				योग
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	3	5	–	17	25
2	दौसा	–	7	–	13	20
3	जैसलमेर	7	–	–	13	20
4	उदयपुर	–	11	1	8	20
योग		10	23	1	51	85

उपरोक्त सारणी के अनुसार चयनित 85 कार्यों में से 51 (60.00 प्रतिशत) कार्यों का पंजीकरण वर्ष 2007–08 में हुआ। वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 10 एवं 23 तथा वर्ष 2006–07 में केवल उदयपुर में 1 कार्य का पंजीयन करवाया गया था। वर्ष 2007–08 में चयनित चारों जिलों में अध्ययन हेतु चयनित कार्यों का पंजीयन करवाया गया जबकि वर्ष 2004–05 में केवल दो जिलों अजमेर एवं जैसलमेर में, वर्ष 2005–06 में जिला अजमेर, दौसा एवं उदयपुर में कार्यों का पंजीयन करवाया गया। संदर्भित चारों जिलों में से जिला दौसा एवं जैसलमेर में दो–दो वर्ष एवं जिला अजमेर एवं उदयपुर में तीन तीन वर्षों में चयनित कार्यों का पंजीयन करवाया गया।

3.3.4 कार्यों की स्वीकृति :

चयनित 85 कार्यों का जिलेवार स्वीकृत वर्ष का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या – 22

चयनित कार्यों का स्वीकृत वर्षवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	वर्षवार स्वीकृत कार्यों की संख्या				योग
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर	1	6	–	18	25
2	दौसा	–	3	4	13	20
3	जैसलमेर	–	5	–	15	20
4	उदयपुर	–	11	–	9	20
योग		**1**	**25**	**4**	**55**	**85**

उपरोक्त सारणी में अंकित समंकों के अनुसार चयनित 85 कार्यों में से 55 (64.71 प्रतिशत) कार्यों की स्वीकृति वर्ष 2007–08 में की गयी। वर्ष 2005–06 में 25 (29.41 प्रतिशत) कार्यों एवं वर्ष 2004–05 एवं 2006–07 में क्रमशः 1 एवं 4 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। उपर्युक्त सारणी संख्या–22 को सारणी संख्या–21 के साथ विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि वर्ष 2004–05 में 10 कार्य पंजीकृत हुए लेकिन उन 10 कार्यों में से केवल एक कार्य की स्वीकृति ही उसी वर्ष की जा सकी। वर्ष 2005–06 में पंजीकृत 22 कार्यों के विपरीत 25 कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2006–07 में 1 पंजीकृत कार्य के विपरीत 4 कार्यों की एवंवर्ष 2007–08 में 52 पंजीकृत कार्यों के विपरीत 55 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई। उक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 में सभी पंजीकृत कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी नहीं की जा सकी, लेकिन तदुपरान्त प्रत्येक वर्ष के पंजीकृत कार्यों के साथ गत वर्षों के पंजीकृत कार्यों की भी स्वीकृतियाँ जारी की गयी।

3.3.5 पंजीयन से स्वीकृति की समयाविधि :

उपरोक्त वर्णित वर्षवार पंजीयन एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या से ज्ञात होता है कि वर्ष 2004–05 में दो जिलों में पंजीकृत किये गये 10 कार्यों में से केवल 1 कार्य ही स्वीकृत किया गया। हर वर्ष पंजीकृत कार्यों एवं स्वीकृत कार्यों की संख्या में अन्तर है। अतः कार्यों की पंजीयन की तिथि से स्वीकृति तिथि में लगी समयावधि के अनुसार कार्यों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी संख्या – 23

कार्यों के पंजीयन से स्वीकृति की समयावधि का जिलेवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	कार्यों के पंजीयन से स्वीकृति में लगा समय	जिलेवार कार्यों की संख्या				योग
		अजमेर	दौसा	जैसलमेर	उदयपुर	
1	2	3	4	5	6	7
1	एक माह	8(32.00)	11(55.00)	4(20.00)	4(20.00)	27(31.76)
2	दो माह	2(8.00)	5(25.00)	7(35.00)	9(45.00)	23(27.06)
3	तीन माह	6(24.00)	1(5.00)	1(5.00)	3(15.00)	11(12.94)
4	चार माह	4(16.00)	–	–	3(15.00)	7(8.24)
5	चार माह से ज्यादा	5(20.00)	3(15.00)	8(40.00)	1(5.00)	17(20.00)
योग		25(100.00)	20(100.00)	20(100.00)	20(100.00)	85(100.00)

कोष्ठक ( ) में कुल कार्यो से समयावधि अनुसार कार्यों की संख्या से प्रतिशत अंकित है।

उपरोक्त तालिका के समंकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 85 कार्यों में से 68 (80.00 प्रतिशत कार्य) पंजीयन तिथि से चार में स्वीकृत किये गये एवं 17 (20.00 प्रतिशत) कार्यों में चार माह से ज्यादा समय लगा। चार माह से ज्यादा लगने वाले 17 कार्यों में सबसे ज्यादा 8 कार्य जैसलमेर एवं 5 कार्य अजमेर जिले के थे। जैसलमेर जिले में योजना के प्रारम्भ वर्ष 2004–05 में ही कार्यों का पंजीयन ज्यादा हुआ था तथा एक ही ग्राम पंचायत/ग्रामों के कई कार्य पंजीकृत करवाये गये थे जिससे उनकी वरीयता अनुसार कार्यों की स्वीकृति में ज्यादा समय लगा। इन 17 कार्यों में से 11 कार्यों में 5 से 11 माह में स्वीकृति जारी की गई जबकि शेष 6 कार्यों में 14 माह से ज्यादा समय लगा।

47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 15 (31.91 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 1 माह, 13 (27.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 2 माह, 13 (27.66 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 3 माह, 2 (4.26 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने 4 माह एवं 4 (8.51 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने औसतन 4 माह में स्वीकृति जारी होना अवगत कराया। कार्य के पंजीयन के पश्चात् स्वीकृति में ज्यादा समय लगने के मुख्य कारण यथा जिला स्तर पर राशि का अभाव, जन–सहभागीदारी की हिस्सा राशि समय पर जमा नहीं करवाना तथा एक ग्राम पंचायत में एक से ज्यादा गाँव एवं कार्य पंजीकृत करवाना रहा।

3.3.6. कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशि :

यह योजना शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है एवं सामुदायिक परिसम्पतियों के निर्माण एवं रख रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की गयी हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की लागत में राज्यांश एवं जन सहयोग की राशि के हिस्से अनुसार ही कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी। चयनित कार्यों की जिलेवार स्वीकृत राशि का विवरण निम्न सारणी में अंकित हैः

सारणी संख्या–24
चयनित कार्यों की स्वीकृत एवं व्यय राशि

(रूपये लाखों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि			व्यय राशि		
			राज्यांश	जनसहयोग	योग	राज्यांश	जनसहयोग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	25	53.10	15.40	68.50	52.27	15.40	67.67
2	दौसा	20	36.72	12.63	49.35	36.21	12.63	48.84
3	जैसलमेर	20	55.39	23.26	78.65	53.46	23.26	76.72
4	उदयपुर	20	43.38	13.73	57.11	43.19	13.72	56.91
योग		**85**	**188.59**	**65.02**	**253.61**	**185.13**	**65.01**	**250.14**

उपरोक्त तालिका के समंको से अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) चयनित 85 कार्यों हेतु 253.61 लाख रूपये स्वीकृत किये गये अर्थात औसतन प्रति कार्य 2.98 लाख रूपये स्वीकृत किये। जैसलमेर जिले में 20 कार्यों हेतु 78.65 लाख रूपये (3.93 लाख रूपये प्रति कार्य) उदयपुर से 20 कार्यों हेतु 57.11 लाख रूपये (2.86 लाख रूपये प्रति कार्य) अजमेर में 25 कार्यों हेतु 68.50 लाख रूपये (2.74 लाख रूपये प्रति कार्य) एवं दौसा में 20 कार्यों हेतु 49.35 लाख रूपये (2.47 लाख रूपये प्रति कार्य) स्वीकृत किये गये।

(ii) स्वीकृत राशि 253.61 लाख रूपये में 188.59 (74.36 प्रतिशत) लाख रूपये राज्यांश राशि एवं 65.02 (25.64 प्रतिशत) लाख रूपये जनसहयोग राशि स्वीकृत की गयी। चयनित जिला अजमेर, दौसा, जैसलमेर एवं उदयपुर में क्रमशः 68.50, 49.35, 78.65 एवं 57.11 लाख रूपये स्वीकृत किये गये जिमसें से जनसहयोग राशि क्रमशः 15.40 (22.48 प्रतिशत) लाख रूपये, 12.63 (25.59 प्रतिशत) लाख रूपये, 23.26 (29.57 प्रतिशत) लाख रूपये एवं 13.73 (24.04 प्रतिशत) लाख रूपये थी। चयनित 85 कार्यों में से 36 (42.35 प्रतिशत) कार्यों में जन सहयोग की राशि 20 प्रतिशत एवं 49 (57.65 प्रतिशत) कार्यों में 30 प्रतिशत राशि स्वीकृत की गई, जो योजनान्तर्गत निर्धारित मानदण्ड 20–30 प्रतिशत के अनुरूप है।

(iii) स्वीकृत राशि 253.61 लाख रूपये में से 250.14 (98.63 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये। जिलेवार व्यय राशि यह दर्शाती है कि अधिकांश कार्य स्वीकृत राशि में ही पूर्ण कर लिए गये। चयनित 85 कार्यों की स्वीकृत राशि से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत का निम्न सारणी में दर्शाया गया जिलेवार विवरण व्यय की स्थिति को और भी अधिक स्पष्ट करता है।

सारणी संख्या–25
स्वीकृत राशि से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत अनुसार कार्यों की संख्या

(संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	कुल कार्य	स्वीकृत राशि से व्यय की गयी राशि के प्रतिशत अनुसार कार्यों की संख्या			
			90 प्रतिशत तक	90–95 प्रतिशत तक	95–99 प्रतिशत तक	99 प्रतिशत से ज्यादा
1		2	3	4	5	6
1	अजमेर	25	1	–	–	24
2	दौसा	20	–	1	1	18
3	जैसलमेर	20	2	–	–	18
4	उदयपुर	20	1	–	–	19
योग		85	4	1	1	79

उपरोक्त तालिका में अंकित समंको के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 85 कार्यों में से 79(92.94 प्रतिशत)कार्यों में स्वीकृत राशि में 99.00 प्रतिशत राशि, 2(2.35 प्रतिशत) कार्यों में 90 से 99 प्रतिशत तक एवं 4(4.71 प्रतिशत) कार्यों में 90 प्रतिशत से कम राशि व्यय की गयी। जिन 6 कार्यों में 99 प्रतिशत से कम राशि व्यय की गयी उनमें से 4 कार्य पूर्ण हो चुके थे उनमें 87.47 से 97.00 प्रतिशत के बीच राशि व्यय की गयी तथा शेष 2 कार्यों का निर्माण कार्य पूर्ण होना शेष था उनमें क्रमशः 80. 00 एवं 74.67 प्रशित राशि व्यय हो चुकी थी। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर कार्यों में स्वीकृत राशि के अनुसार ही राशि व्यय की गयी है।

3.3.6.1 **कार्यों के वर्गीकरण अनुसार स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि :**

अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों में ग्रेवल/सी.सी.रोड़, संस्थाओं की चारदीवारी, सामुदायिक भवन, तालाब खुदाई एवं घाट निर्माण, संस्थाओं के कमरे इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य करवाये गये। विभिन्न प्रकार के स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

सारणी संख्या–26

कार्यों के प्रकार अनुसार स्वीकृत एवं व्यय राशि

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	कार्यों का प्रकार	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	औसतन प्रति कार्य स्वीकृत राशि	औसतन प्रति कार्य व्यय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	भवन निर्माण कार्य (सामुदायिक, सभा, चौपाल)	26	55.06	53.95	2.12	2.08
2.	चारदीवारी निर्माण (विद्यालय, श्मशान, कब्रिस्तान)	18	57.04	55.88	3.17	3.10
3.	ग्रेवल/सी.सी.सड़क निर्माण	20	60.86	60.66	3.04	3.03
4.	कमरा/कक्ष निर्माण	7	18.45	17.45	2.64	2.49
5.	तालाब खुदाई एवं घाट निर्माण	8	44.00	44.00	5.50	5.50
6.	अन्य (हैण्ड़पम्प, सार्वजनिक पार्क,ट्री–गार्ड, पेयजल टंकी)	6	18.20	18.20	3.03	3.03
	योग	**85**	**253.61**	**250.17**	**2.98**	**2.94**

उपरोक्त वर्णित समंकों अनुसार अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों हेतु औसतन 2.98 लाख रुपये स्वीकृत एवं औसतन 2.94 लाख रुपये व्यय किये गये। औसतन स्वीकृत राशि 2.98 लाख रुपये से तालाब खुदाई एवं घाट निर्माण, चार दीवारी निर्माण एवं सड़क निर्माण में ज्यादा राशि स्वीकृत की गयी जो क्रमशः 5.50, 3.17 एवं 3.04 लाख रुपये थे तथा सामुदायिक भवन एवं कमरा/कक्ष निर्माण कार्यों हेतु कम राशि स्वीकृत की गयी जो क्रमशः 2.12 एवं 2.64 लाख रुपये थे। अन्य विभिन्न कार्यों यथा हैण्ड़पम्प, सार्वजनिक पार्क, ट्री–गार्ड, पेयजल टंकी इत्यादि पर औसतन 3.03 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। विभिन्न प्रकार के सभी कार्यों पर औसतन स्वीकृत राशि के लगभग ही राशि व्यय की गयी।

3.3.7 जनसहयोग की भागीदारी का विवरण :

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में जन सहयोग राशि नगद, श्रम, सामग्री इत्यादि के रूप में स्थानीय समुदाय, व्यक्तिगत दानदाता, गैर सरकारी/पंजीकृत/सामाजिक संगठन इत्यादि से प्राप्त की गयी। चयनित 85 कार्यों हेतु प्राप्त की गयी जन–सहयोग राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(i) चयनित 85 कार्यों में से 75 (88.24 प्रतिशत) कार्यो हेतु जनसहयोग राशि एक स्त्रोत से, 9 (10.59 प्रतिशत) कार्यों की दो स्त्रोतों एवं 1 (1.17 प्रतिशत) कार्य की तीन स्त्रोतों से प्राप्त हुई।

(ii) जिन 75 कार्यों की एक स्त्रोत से राशि प्राप्त हुयी उनमें से 59 (78.67 प्रतिशत) कार्यों हेतु ग्रामीणों से नगद जनसहयोग, 9 (12.00 प्रतिशत) कार्यों हेतु व्यक्तिगत दानदाता, 7(9.33 प्रकतिशत) कार्यों हेतु संस्थाओं द्वारा जनसहयोग राशि प्राप्त हुई।

(iii) दो स्त्रोतों वाले 9 कार्यों में समस्त कार्यों में ग्रामीणों के सहयोग के अलावा 6 कार्यों में ग्रामीण श्रमदान के रूप में एवं 3 कार्यों में व्यक्तिगत दानदाता से राशि प्राप्त हुई।

(iv) तीन स्त्रोत वाले एक कार्य में ग्रामीण जनसहयोग, सामाजिक संगठन एवं व्यक्तिगत दानदाता से राशि प्राप्त हुई।

(v) इस प्रकार चयनित 85 कार्यों में से 69 (81.18 प्रतिशत) कार्यो में ग्रामीण जनसहयोग, 13 (15.29 प्रतिशत) कार्यो में व्यक्तिगत दानदाताओं, 8 (9.41 प्रतिशत) कार्यो में विभिन्न संस्थाओं/संगठनों एवं 6 (7.06 प्रतिशत) कार्यों में श्रमदान के रूप में जनसहयोग राशि प्राप्त हुई। इससे स्पष्ट है चयनित कार्यों में ग्रामीण जनसहयोग के अलावा व्यक्तिगत दानदाताओं एवं विभिन्न संस्थाओं/संगठनों की भी भागीदारी रही।

(vi) जनसहयोग की राशि 65.02 लाख रूपये में से 46.83 (72.02 प्रतिशत) लाख रूपये ग्रामीण जनसमुदाय, 8.54 (13.14 प्रतिशत) लाख रूपये व्यक्तिगत दानदाताओं, 6.80 (10.46 प्रतिशत) लाख रूपये विभिन्न संस्थाओं/संगठनों से नगद तथा 2.85 (4.38 प्रतिशत) लाख रूपये श्रमदान के रूप में प्राप्त किये गये। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत दानदाताओं एवं विभिन्न संस्थाओं/संगठनों ने जनसहयोग राशि से ज्यादा सहयोग किया है तथा श्रम के रूप में कम भागीदारी रही है।

47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 30 (63.83 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जनसहयोग की राशि आसानी से प्राप्त होना एवं 17 (36.17 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जन–सहयोग राशि प्राप्त करने में निम्न कठिनाईयाँ अवगत करायी :–

(i) ग्रामवासियों द्वारा श्रम के रूप में कार्य नहीं करना।

(ii) जन–सहयोग की निर्धारित राशि का ज्यादा होना।

(iii) ग्रामवासियों की मानसिकता है कि विकास के कार्य राज्य सरकार की राशि से हो।

(iv) ग्राम के क्षेत्र/वार्ड/आबादी विशेष द्वारा ही जन–सहयोग हेतु सक्रिय होना अर्थात् आम जनता का जन–सहयोग में निष्क्रिय रहना।

(v) दानदाता/जन–समूह तभी जन–सहयोग करना चाहता है जब सृजित परिसम्पत्ति से सीधा उनको लाभ मिले।

अतः ग्राम सभाओं के माध्यम से योजना की उपयोगिता एवं विकास कार्यों की महत्ता की जानकारी दी जानी चाहिए जिससे जन समुदाय जन सहयोग देने हेतु प्रेरित हो सके। जिन क्षेत्रों में राशि द्वारा सहयोग संभव नहीं है वहाँ पर श्रम द्वारा सहयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

3.3.8 कार्य निर्माण की समयावधि :

चयनित समस्त 85 कार्य स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ किये गये। सर्वे दिनांक तक 85 कार्यों में से 82 (96.47 प्रतिशत) कार्य पूर्ण हो चुके थे। 2 (2.35 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर थें एवं शेष 1 (1.18 प्रतिशत) कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था परन्तु विवाद होने के कारण चारदीवारी का एक हिस्सा अपूर्ण था। इस प्रकार 83 कार्य पूर्ण एवं 2 कार्य प्रगति पर थे। पूर्ण हो चुके 83 कार्यों के कार्य प्रारम्भ से कार्य पूर्ण होने तक की समयावधि का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

सारणी संख्या–27

कार्य प्रारम्भ करने से कार्य पूर्ण होने तक की समयावधिनुसार विवरण

(संख्या)

क्र.सं	चयनित जिला	पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या	कार्य प्रारम्भ हाने से पूर्ण होने तक की समयावधिनुसार कार्यों की संख्या				
			1 माह में	2 माह में	3 माह में	4 माह में	4 माह से ज्यादा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	अजमेर	24	6 (25.00)	6 (25.00)	10 (41.67)	2 (8.33)	–
2	दौसा	20	6 (30.00)	6 (30.00)	3 (15.00)	–	5 (25.00)
3	जैसलमेर	19	5 (26.32)	4 (21.05)	7 (36.84)	3 (15.79)	–
4	उदयपुर	20	8 (40.00)	2 (10.00)	8 (40.00)	1 (5.00)	1 (5.00)
योग		**83**	**25 (30.12)**	**18 (21.69)**	**28 (33.73)**	**6 (7.23)**	**6 (7.23)**

कोष्ठक ( ) में कार्यों की संख्या से समयावधि अनुसार कार्यों की संख्या का प्रतिशत अंकित है।

उपरोक्त सारणी के अनुसार 30.12 प्रतिशत कार्य एक माह में, 21.69 प्रतिशत कार्य दो माह में, 33.73 प्रतिशत कार्य तीन माह में, 7.23 प्रतिशत कार्य चार माह में एवं 7.23 प्रतिशत कार्य चार माह से ज्यादा समय में पूर्ण किये गये। इससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत चयनित ज्यादातर कार्य 4 माह से कम समय में ही पूर्ण किये गये। सबसे ज्यादा 40.00 प्रतिशत कार्य उदयपुर जिले में एक माह में, 30.00 प्रतिशत कार्य दौसा जिले में दो माह में, 41.67 एवं 40.00 प्रतिशत कार्य क्रमशः अजमेर एवं उदयपुर जिले में तीन माह में पूर्ण किये गये। चार माह से ज्यादा समय में दौसा में 5 कार्य एवं उदयपुर में 1 कार्य पूर्ण किया गया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ से पूर्ण होने की अवधि सराहनीय रही है। जन–सहयोग, ग्रामवासियों की कार्य पूर्ण कराने की प्राथमिकता एवं इच्छा शक्ति तथा ग्राम पंचायत का कार्यकारी एजेन्सी होना कार्य शीघ्र पूर्ण कराने में सहायक रहे हैं।

47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 37 (78.72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाना एवं 10 (21.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के निम्न कारण बताये :–

(i) यथासमय मजदूरों/श्रमिकों का उपलब्ध नहीं होना।
(ii) योजनान्तर्गत श्रमिकों की मजदूरी दर का कम होना एवं बाजार में मजदूरी दर ज्यादा होना।
(iii) कार्यों के निर्माण स्थान पर भूमि विवाद होना।
(iv) निर्माण कार्य की सामग्री देरी से अना।
(v) स्वीकृत राशि का देरी से प्राप्त होना।

अतः निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु स्वीकृत राशि यथासमय उपलब्ध करवाने एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं (नरेगा) के अनुरूप मजदूरी दर तय करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.3.9 स्वीकृत राशि की प्राप्ति :

योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत राशि कार्यकारी एजेंसियों को दो या तीन किश्तों में उपलब्ध करवायी गयी। अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों में से 56 (65.88 प्रतिशत) कार्यों हेतु दो किश्तों में एवं 29 (34.12 प्रतिशत) कार्यों को तीन किश्तों में राशि प्राप्त हुई। चयनित 85 कार्यों में से 69(81.18 प्रतिशत) कार्यों में किश्तों की राशि समय पर एवं 16(18.82 प्रशित) कार्यों में किश्तों की राशि देरी से प्राप्त हुई। जिन 16 कार्यों की किश्तें देरी से प्राप्त हुई उनमें से 13 कार्यों की किश्तें जिला कार्यालय से ही देरी से प्राप्त हुई एवं 3 कार्यों की शेष रही दो किश्ते प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से भेजने के कारण समय पर प्राप्त नहीं हो सकी। जिला कार्यालय से देरी से राशि प्राप्त होने का मुख्य कारण योजनान्तर्गत बजट का अभाव/राशि उपलब्ध नहीं होना रहा।

3.4.0 **कार्यों की भौतिक स्थिति :**

अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों की सर्वे दिनांक को भौतिक स्थिति का जिलेवार विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–28
योजनान्तर्गत चयनि कार्यो की भौतिक स्थिति

(संख्या)

क्र.सं	चयनित जिला	कुल कार्य	भौतिक स्थिति अनुसार कार्यों की संख्या		
			पूर्ण	अपूर्ण	निर्माण कार्य चालू
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	25	24	–	1
2	दौसा	20	19	1	–
3	जैसलमेर	20	19	–	1
4	उदयपुर	20	20	–	–
योग		85	82	1	2

चयनित 85 कार्यों में से 82 कार्य पूर्ण हो चुके थे दो कार्यों का निर्माण कार्य चालू था एवं 1 कार्य में भूमि का विवाद होने के कारण चारदीवारी के एक हिस्से का कुछ निर्माण कार्य शेष था।

3.5.0 **कार्यों की गुणवत्ता :**

अध्ययन के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा चयनित निर्मित परिसम्पतियों की गुणवत्ता का अवलोकन किया गया। अवलोकन के आधार पर 85 परिसम्पत्तियों में से 76 (89.41प्रतिशत) परिसम्पतियों की गुणवत्ता अच्छी, 8 (9.41प्रतिशत) की साधारण एवं 1(1.18 प्रतिशत) परिसम्पत्ति की गुणवत्ता खराब पायी गयी। खराब गुणवत्ता वाली परिसम्पत्ति दौसा में विद्यालय में निर्मित कमरे से सम्बन्धित थी। कमरे का फर्श टूटा हुआ पाया गया। स्कूल के अध्यापकों द्वारा बताया गया कि विद्यालय में चार दीवारी नहीं होने के कारण विद्यालय समय के बाद पशुओं के प्रवेश एवं बच्चों द्वारा खेल कूद करने से फर्श टूट गया। इससे स्पष्ट है कि परिसम्पत्ति के रख–रखाव में कमी रही जिसके कारण फर्श टूट गया।

47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं में से 44 (93.62 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता अच्छी एवं 3 (6.38 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने साधारण बतायी।

3.6.0 सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव :

चयनित 85 कार्यों में से 83 कार्यों का सर्वे दिनांक को उपयोग किया जा रहा था। उनमें से 64 (77.11 प्रतिशत) कार्यों की सृजित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव ग्राम पंचायतों एवं शेष 19 (22.89 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का रख–रखाव विद्यालयों एवं सरकारी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्यकर्ता के अवलोकन अनुसार इन 83 परिसम्पत्त्यिों में से 53(63.86 प्रतिशत) परिसम्पतियों का अच्छा, 28(33.73 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का साधारण एवं 2(2.41 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का रख रखाव खराब पाया गया। जिन दो परिसम्पत्तियों का रख–रखाव खराब पाया गया उनमें 1 विद्यालय का कमरा एवं एक सड़क थी।

47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने सृजित सम्पत्तियों का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा सुपुर्द करने के पश्चात् ग्राम पंचायतों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना अवगत कराया। इनमें से 42 (89.36 प्रतिशत) ने रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था बतायी एवं 5 (10.64 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने योजनान्तर्गत रखरखाव हेतु राशि का प्रावधान नहीं होने के कारण रखरखाव कीसमुचित व्यवस्थानहीं होना बताया। उनका सुझाव था कि सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जानी चाहिए।

3.7.0 सृजित परिसम्पत्तियों का उपयोग :

अध्ययन हेतु चयनित 85 सृजित परिसम्पत्तियों में से 83 (97.65 प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का सर्वे दिनांक को उपयोग किया जा रहा था। केवल 2 (2.35 प्रतिशत) कार्य निर्माणाधीन होने के कारण उपयोग में नहीं लिये जा रहे थे। विद्यालयों में बने कमरे छात्रों के पढ़ने में, चारदीवारी के कार्यों से भवनों/संस्थाओं की सुरक्षा, पशुओं का आवागमन नहीं होना, पेड़ पौधों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण से बचाव हुआ, तलाई एवं घाट निर्माण से उनकी सुरक्षा के साथ साथ पानी की भराव क्षमता में बढ़ोतरी होने से पशुओं हेतु पानी की समुचित व्यवस्था हुई, पेयजल टंकी एवं हैण्डपम्प से मीठे पानी की उपलब्धता, सामुदायिक भवन, चौपाल भवन इत्यादि से बैठकों के आयोजन, सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यों में ठहरने की व्यवस्था, ट्री गार्ड से वनस्पति की सुरक्षा, सड़क से आवागमन की सुविधा के साथ–साथ समय की बचत हुई है। इससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से समूहो में जनता को लाभ मिला है तथा परिसम्पतियों का जन समूह द्वारा सार्वजनिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा था। यह स्थिति यह भी इंगित करती है कि यह कार्यक्रम अन्य सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में अधिक प्रभावी एवं लोकप्रिय रहा है, क्योंकि जन–समुदाय एवं ग्रामवासियों द्वारा वास्तव में उन्हीं कार्यों के लिए जन–सहयोग राशि जुटाई व सिफारिश की जिनकी उनके क्षेत्र में वास्तव में आवश्यकता थी। यही कारण है कि अधिकांश सृजित सम्पत्तियों का उपयोग किया जा रहा था।

सभी 47 सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं ने सृजित परिसम्पत्तियों को उपयोगी अवगत कराते हुए उनका उपयोग किया जाना बताया।

3.8.0 रोजगार की उपलब्धता :

यद्यपि रोजगार उपलब्ध करवाना कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नहीं है फिर भी परिसम्पत्तियों के सृजन से रोजगार भी सृजित होता है। अतः मूल्यांकन अध्ययन करते समय अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की उपलब्धता पर पड़े प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। चयनित 85 कार्यों में लगाये गये श्रमिकों एवं मानव दिवसों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–29

चयनित कार्यों में लगाये गये श्रमिक एवं मानव दिवस का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	कार्यों की संख्या	श्रमिक संख्या			मानव दिवस		
			स्थानीय	बाहरी	योग	स्थानीय	बाहरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	25	1086 (44)	54 (2)	1140 (46)	19474 (779)	560 (22)	20034 (801)
2	दौसा	20	451 (23)	–	451 (23)	14714 (736)	––	14714 (736)
3	जैसलमेर	20	2437 (122)	40 (2)	2477 (124)	36960 (1848)	640 (32)	37600 (1880)
4	उदयपुर	20	453 (23)	229 (11)	682 (34)	5976 (299)	2001 (100)	7977 (399)
योग		85	4427 (52)	323 (4)	4750 (56)	77124 (907)	3201 (38)	80325 (945)

कोष्ठक ( ) में औसतन प्रति कार्य लगे श्रमिक एवं मानव दिवस की संख्या अंकित है।

उपरोक्त सारणी में अंकित समंको के अवलोकन से ज्ञात होता है कि :–

(i) अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों में औसतन प्रति कार्य 56 श्रमिकों को 945 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ अर्थात प्रत्येक कार्य में प्रत्येक श्रमिक को औसतन 17 दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ।

(ii) जिला जैसलमेर में प्रत्येक कार्य में सबसे ज्यादा औसतन 124 श्रमिकों को एवं जिला अजमेर, उदयपुर एवं दौसा में क्रमशः 46,34 एवं 23 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। यह विश्लेषण यह भी इंगित करता है कि जैसलमेर जिले में तुलनात्मक रूप से बड़े कार्य एवं दौसा जिले में तुलनात्मक रूप से छोटे कार्य करवाये गये।

(iii) चयनित 85 कार्यों में 4750 श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हुआ जिनमे से 4427 (93.20 प्रतिशत) स्थाानीय श्रमिको एवं 323 (6.80 प्रतिशत) बाहरी श्रमिको को रोजगार उपलब्ध हुआ। जिला दौसा में शत प्रतिशत स्थानीय श्रमिकों को ही रोजगार उपलब्ध हुआ एवं उदयपुर जिले में 682 श्रमिकों में से 453 (66. 42प्रतिशत)स्थानीय श्रमिको एवं 229 (33.58 प्रतिशत)बाहरी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ। इससे स्पष्ट है योजनान्तर्गत ज्यादातर स्थानीय श्रमिकों को ही रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

(iv) जिला अजमेर, दौसा, जैसलमेर एवं उदयपुर जिले में क्रमशः 17,32,15,12 दिवस औसतन प्रति श्रमिक रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिला दौसा में अन्य जिलों के मुकाबले कम श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया एवं इस जिले में प्रत्येक श्रमिक को सबसे ज्यादा 32 दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(v) चयनित कार्यों में लगाये गये 4750 श्रमिकों का वर्गवार, लिंगवार एवं आर्थिक वर्गीकरण का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. 4750 श्रमिकों में से 2288(48.17 प्रतिशत) महिलायें एवं 2462 (51.83 प्रतिशत) पुरूष श्रमिक थे अर्थात् महिला एवं पुरूष को समान रूप से मजदूरी दी गयी।

2. 1446(30.44 प्रतिशत) श्रमिक गरीबी की रेखा से नीचे यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों के एवं 3304(69.56 प्रतिशत) श्रमिक ए.पी.एल श्रेणी के थे।
3. 1225 (25.79%) श्रमिक अनुसूचित जाति, 739(15.56%) श्रमिक अनुसूचित जनजाति एवं 2786(58.65%) श्रमिक अन्य सामान्य वर्ग के थे।

इससे स्पष्ट है योजनान्तर्गत महिला, बी.पी.एल., अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के श्रमिकों को प्राथमिकता से लाभान्वित किया गया।

3.9.0 योजनान्तर्गत चयनित कार्यो के निर्माण में रोजगार प्राप्त श्रमिकों से प्राप्त सूचनाओं का विवरण :

चयनित कार्यों में काम करने वाले 80 श्रमिकों का चयन कर उनसे प्राप्त सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

3.9.1 सामान्य विवरण :

(i) चयनित 80 श्रमिकों में से 66(82.50प्रतिशत) श्रमिक 25–50 वर्ष के, 11 (13.75प्रतिशत) श्रमिक 25 वर्ष से कम एवं 3(3.75प्रतिशत) श्रमिक 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे।

(ii) 28(35.00प्रतिशत) श्रमिक बी.पी.एल. एवं 52(65.00प्रतिशत) श्रमिक ए.पी.एल.वर्ग के थे।

(iii) 31(38.75प्रतिशत) श्रमिक महिला एवं 49(61.25प्रतिशत) श्रमिक पुरूष थे।

(iv) 21(26.25प्रतिशत) श्रमिक अनुसूचित जाति, 25 (31.25प्रतिशत) श्रमिक अनुसूचित जनजाति एवं 34(42.50प्रतिशत) श्रमिक सामान्य वर्ग के थे।

(v) 74(92.50प्रतिशत) श्रमिकों का व्यवसाय मजदूरी एवं 6(7.50प्रतिशत) श्रमिकों का व्यवसाय निर्माण कार्य में कारीगरी से जुड़े हुये थे।

(vi) चयनित 80 श्रमिकों में से 64(80.00प्रतिशत) अकुशल श्रमिक एवं 16 (20.00प्रतिशत) कुशल श्रमिक थे।

3.9.2 योजनान्तर्गत रोजगार की उपलब्धता :

अध्ययन हेतु चयनित 80 श्रमिकों में से 59 (73.75प्रतिशत) श्रमिकों ने योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक निर्माण किये गये एक कार्य पर 15 (18.75प्रतिशत) श्रमिकों ने दो कार्यो पर एवं 6(7.50प्रतिशत) श्रमिकों ने तीन कार्यों पर रोजगार प्राप्त किया। चयनित जिलों में चयनित श्रमिकों के मानव दिवस का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–30

चयनित श्रमिकों के मानव दिवस का विवरण

(वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक)

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित श्रमिक संख्या	योजनान्तर्गत रोजगार की उपलब्धता (मानव दिसव)	औसतन प्रति श्रमिक मानव दिवस
1.	अजमेर	20	620	31
2.	दौसा	20	1327	66
3.	जैसलमरे	20	981	49
4.	उदयपुर	20	783	39
	योग	**80**	**3711**	**46**

उपरोक्त सारणी के अनुसार योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से वर्ष 2007–08 तक योजनान्तर्गत करवाये गये कार्यो पर चयनित जिलों में चयनित श्रमिकों को औसतन 46 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ। सबसे ज्यादा 66 दिवस जिला दौसा में एवं सबसे कम 31 दिवस जिला अजमेर में तथा जिला जैसलमेर एवं उदयपुर जिले में क्रमशः 49 एवं 39 दिवस श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

3.9.3 योजनान्तर्गत उपलब्ध रोजगार से प्राप्त राशि :

योजनान्तर्गत वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक निर्मित कार्यो में अकुशल एवं कुशल श्रमिकों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी राशि क्रमशः 73 रूपये से 100 रूपये तक एवं 100 रूपये से 150 रूपये तक वर्षवार भुगतान किया गया। चयनित 80 श्रमिकों में से 64 (80.00प्रतिशत) अकुशल श्रमिक एवं 16(20.00प्रतिशत) कुशल श्रमिक थे। 16 कुशल श्रमिकों में से दौसा, अजमेर, उदयपुर एवं जैसलमेर के

क्रमशः 8,4,2,2 श्रमिक थे। 80 श्रमिकों में से 33(41.25प्रतिशत) श्रमिकों ने साप्ताहिक 41(51.25प्रतिशत) श्रमिकों ने पाक्षिक एवं 6(7.50प्रतिशत) श्रमिकों ने 15 दिवस से ज्यादा समय में नगद भुगतान होना अवगत कराया। योजनान्तर्गत श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी की राशि का विवरण जिलेवार निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी संख्या–31

श्रमिकों को प्राप्त मजदूरी राशि का विवरण

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित श्रमिकों की संख्या	श्रमिकों को प्राप्त रोजगार (मानव दिवस)	प्राप्त राशि (रूपये)	औसतन प्रति श्रमिक प्राप्त राशि (रूपये)	औसतन प्रति मानव दिवस की राशि (रूपये)
1.	अजमेर	20	620	59065	2953	95
2.	दौसा	20	1327	139081	6954	105
3.	जैसलमरे	20	981	87826	4391	90
4.	उदयपुर	20	783	72310	3616	92
	योग	**80**	**3711**	**358282**	**4479**	**97**

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि योजनान्तर्गत एक श्रमिक को औसतन 4479 रूपये की मजदूरी राशि तथा एक दिवस की औसतन मजदूरी 97 रूपये प्राप्त हुई। जिला दौसा, अजमेर, उदयपुर एवं जैसलमेर में क्रमशः 105, 95,92,90 रूपये प्रति दिवस की औसतन मजदूरी श्रमिकों ने प्राप्त की। जिला दौसा एवं अजमेर में चयनित श्रमिकों में कुशल श्रमिकों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रति दिवस मजदूरी राशि अधिक रही है। श्रमिकों ने अवगत कराया कि योजनान्तर्गत निर्धारित मजदूरी राशि क्षेत्र में मिल रही मजदूरी राशि से कम है। उनके ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिक की मजदूरी राशि 120 –125 रूपये एवं कुशल श्रमिकों की मजदूरी 150–200 रूपये है। उनका सुझाव था कि बढ़ती मंहगाई को मध्यनजर निर्धारित मजदूरी राशि को बढाया जाना चाहिये।

3.9.4 श्रमिक परिवारों के अन्य सदस्यों को रोजगार की उपलब्धता :

अध्ययन हेतु चयनित 80 श्रमिक परिवारों में से 25(31.25प्रतिशत) परिवारों के 31 अन्य सदस्यों को भी योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध हुआ। इन 25 परिवारों में से 19 परिवारों के एक–एक सदस्य एवं 6 परिवारों में दो–दो सदस्यों की रोजगार उपलबध हुआ। 31 सदस्यों ने 1329 मानव दिवस कार्यकर 1,11,258 रूपये की मजदूरी राशि प्राप्त की। इससे स्पष्ट है कि चयनित श्रमिक के अलावा उनके 31 अन्य सदस्यों ने औसतन 43 मानव दिवस रोजगार प्राप्त कर प्रति दिवस औसतन 84 रूपये प्राप्त किये। समस्त 31 सदस्य अकुशल श्रमिक थे।

3.9.5 श्रमिक परिवारों पर पड़े प्रभाव :

अध्ययन हेतु चयनित 80 श्रमिकों ने योजनान्तर्गत ग्राम में ही स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना अवगत कराया तथा 25 श्रमिक परिवारों के अन्य सदस्यों के रोजगार उपलब्ध होने के कारण शतप्रतिशत परिवारों की आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि होने के कारण 20(25.00प्रतिशत) परिवारों ने जीवन स्तर/रहन–सहन में वृद्धि होना, 9(11.25प्रतिशत) परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई कराना एवं 4(5.00प्रतिशत) परिवारों ने बीमारी के समय इलाज कराना अवगत कराया। 41(51.25प्रतिशत) परिवारों को योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों/सुविधाओं का उपयोग किया जाना भी अवगत कराया गया।

3.10.0 उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र :

3.10.1 चयनित 85 कार्यो में से 81(95.29%) कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवा दिये गये तथा 4 (4.71%) कार्यो की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये जिनमें से 2 कार्यो का निर्माण कार्य चालू था एवं दो कार्यो पर प्राप्त राशि सर्वे दिनांक के कुछ समय पूर्व ही व्यय की गयी थी उस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाया जाना था।

3.10.2 चयनित 85 कार्यो में से 78(91.76%) कार्यो की प्राप्त राशि को व्यय कर कार्यो के पूर्ण होने के प्रमाण पत्र भिजवाये जा चुके थे तथा 7(8.24%) कार्यो के सर्वे दिनांक तक पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाये गये। इन 7 कार्यो में से 2 कार्यो का निर्माण चालू होने के कारण एवं शेष 5 कार्यो के निर्माण कार्य सर्वे दिनांक के आस–पास हीपूर्ण होने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाये जाने शेष थे। इससे स्पष्ट है कि चयनित कार्यो के ज्यादातर कार्यो की प्राप्त राशि के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवा दिये गये। समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना योजना की सफलता को इंगित करता है।

3.11.0 योजना से पड़े प्रभाव :

3.11.1 ग्रामवासियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों के अनुसार योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों से स्थानीय क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को लाभ हुआ है, उनके द्वारा बताये गये लाभ/प्रभावों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- योजनान्तर्गत जनभागीदारी के प्रावधान से क्षेत्र में ग्रामवासियों ने आवश्यकता अनुसार ही कार्यो का चयन किया जिससे ग्राम में अपेक्षित कार्यो के निर्माण से वाँछित सुविधाएं प्राप्त हुई।

- चारदीवारी निर्माण कार्यो से सभी संस्थाओं के भवनों की सुरक्षा हुई तथा भूमि पर अतिक्रमण से बचाव हुआ।

- विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण से छात्रों की पढ़ाई हेतु समुचित व्यवस्था होने से पढाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

- सड़क एवं नाली निर्माण कार्यो से आवागमन की समुचित व्यवस्था हुई तथा पानी के भराव से होनी वाली गंदगी/कीचड से होने वाली बदबू के नहीं होने से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ा तथा समय की बचत हुई।

- सामुदायिक भवनों के निर्माण से ग्रामवासियों के बैठने एवं ठहरने की व्यवस्था होने से विभिन्न बैठकें आयोजित की गयी जिससे विभिन्न जानकारियों का प्रचार प्रसार हुआ। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों को सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को करने का स्थान उपलब्ध हुआ।

- तालाब/तलाई खुदाई एवं खेली निर्माण से पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था होने से पशुधन की पेय समस्या हल हुई।

- पार्क एवं ट्री–गार्ड निर्माण से पर्यावरण दूषित होने से बचा है, पेड़ पौधों की सुरक्षा हुई है तथा वृद्ध ग्रामीणों के घूमने/आराम करने का स्थान मिला है।

- हैण्डपम्प/पानी की टंकी से स्वच्छ पानी की व्यवस्था होने से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पडा है।

- निर्माण कार्यो से स्थानीय/क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ ।

- योजना से अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होने से आय में अतिरिक्त वृद्धि हुई।

3.12.0 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था :

3.12.1 योजनान्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप किया जाता है। जिसके अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अभियन्ता तथा पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के मानदण्ड निर्धारित किये गये है।/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 100 प्रतिशत एवं विकास अधिकारी द्वारा 25 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण किया जाना निर्धारित है। अध्ययन हेतु चयनित कार्यो के निर्माण के समय किये गये निरीक्षण का पदवार विवरण निम्न प्रकार है :–

- समस्त 85 कार्यो का निरीक्षण कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा किया।
- 52(61.18प्रतिशत) कार्यो का निरीक्षण पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा, 24 (28.24प्रतिशत) कार्यो का सहायक अभियन्ता द्वारा, 15 (17.64प्रतिशत) कार्यो का जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा, 10(11.76प्रतिशत) कार्यो का मुख्यकार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा, 9(10.58प्रतिशत) कार्यो का तहसीलदार द्वारा एवं 2(2.35प्रतिशत) कार्यो का निरीक्षण उप खण्ड अधिकारी द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत चयनित कार्यो का प्रत्येक स्तर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया गया।

3.13.0 **निर्माण पश्चात् परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रख–रखाव की निगरानी** :

3.13.1 चयनित 85 कार्यो में से सर्वे दिनांक तक पूर्ण हुए 83 कार्यो की परिसम्पत्तियों में से सबसे जयादा 74(89.16प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का स्वामित्व ग्राम पंचायत एवं 9 (10.84प्रतिशत)परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकारी विद्यालयों/संस्थाओं का था। स्वामित्व वाली एजेन्सियों का ही परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रख–रखाव किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान कार्यो के निर्माण के पश्चात् सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रख–रखाव की निगरानी हेतु किये गये। निरीक्षण/पर्यवेक्षण की सूचना भी प्राप्त की गयी। 83 कार्यो की परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रख–रखाव हेतु किये गये निरीक्षण/पर्येवेक्षण की सूचना पदवार निम्न प्रकार है :–

3.13.2 67(80.72प्रतिशत) परिसम्पत्तियों के रखरखाव सम्बन्धी निरीक्षण कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, 48 (57.83प्रतिशत) का विकास अधिकारी द्वारा, 21(25.30प्रतिशत) का सहायक अभियन्ता द्वारा, 13 (15.67प्रतिशत) का अधिशाषी अभियन्ता द्वारा, 8(9.64प्रतिशत) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एवं 2–2 (2.40प्रतिशत) परिसम्पत्तियों का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि चयनित कार्यो के पूर्ण होने पर सृजित परिसम्पत्तियों के उपयोग एवं रख–रखाव की निगरानी हेतु भी प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/पर्यवेक्षण कार्य किया गया।

————

अध्याय चतुर्थ

योजना के सकारात्मक पहलू, कठिनाइयाँ एवं सुझाव

4.1.0 **सकारात्मक पहलू :**

गुरू गोलवलकर योजना, जनभागीदारी योजना होने के फलस्वरूप अन्य केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं से विशिष्ठ है, अधिक लोकप्रिय है, अधिक सफल है एवं अधिक प्रभावी है। योजनान्तर्गत कार्यों का चयन/पंजीयन ग्राम/स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है फलतः कोई भी कार्य व्यर्थ पूर्ण खर्चे (Wasteful Expenditure) की श्रेणी में नहीं आता। ग्रामवासियों/स्वयंसेवी संस्थाओं/व्यक्तिगत दानदाताओं द्वारा नकद/सामग्री के रूप में हिस्सा राशि (20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत) दिए जाने के कारण प्रत्येक चयनित कार्य से उनका विशेष लगाव एवं अपनेपन की भावना निहित होती है। कार्य को सरकारी कार्य न समझ कर स्वयं का कार्य समझने की भावना ही कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ–साथ कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में सहायक होती है, हिस्सा राशि होने से कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है और सम्बन्धित इंजीनियर पर कार्य अच्छा, शीघ्र एवं कम लागत में पूर्ण किए जाने का भावनात्मक दबाव होने के कारण सम्पूर्ण राजकीय मशीनरी द्वारा भी न केवल कार्य ससमय पूर्ण किए जाते हैं अपितु कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र व पूर्णता प्रमाण–पत्र भी जारी करने में विलम्ब नहीं होता। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप कार्य होने के कारण कार्य का उपयोग भी प्रारम्भ हो जाता है और ग्रामवासियों के चेहरे पर कार्य पूर्ण होने का उत्साह एवं उनके उपयोग में आने की खुशी आसानी से देखी जा सकती है।

4.2.0 संक्षेप में कहा जा सकता है कि गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना अपने निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रही है लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में आने वाली कुछ व्यवहारिक कठिनाईयाँ एवं समस्याऐं हैं जिनका निम्न अनुच्छेदों में इस आशय से वर्णन किया जा रहा है कि इस लोकप्रिय योजना को और अधिक सफल एवं प्रभावी बनाया जा सके :–

1. **प्रत्येक वर्ष आवंटित राशि में अत्यधिक भिन्नता :**

योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि में अत्यधिक भिन्नता देखी गयी। वर्ष 2004–05 कार्यक्रम का प्रथम/प्रारम्भ वर्ष हाने के फलस्वरूप हो सकता है मात्र 260.01 लाख रुपये का आवंटन किया गया हो और वर्ष 2005–06 में सम्भवतया योजना की लोकप्रियता एवं कार्यों का पंजीयन देखते हुए आवंटन बढ़ाकर 2800.00 लाख रुपये कर दिया गया हो लेकिन वर्ष 2006–07 में योजनान्तर्गत मात्र 1000.00 लाख रुपये आवंटित किए गये और वर्ष 2007–08 में इसे छ गुना बढ़ाकर 6000.00 लाख रुपये कर दिया गया। योजना में राशि का इतना अधिक उतार–चढ़ाव (variation)

क्रियान्वयन एजेन्सी के लिए अग्रिम योजना बनाने में कठिनाई पैदा करता है और कार्यों के पंजीयन में अनावश्यक विलम्ब होने से सम्पूर्ण क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है। राशि के इतने अधिक उतार–चढ़ाव का सबसे अधिक असर पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों पर पड़ता है। कम राशि के आवंटित होने पर पंजीकृत कार्यों को स्वीकृत न किए जाने पर जन–आक्रोश का सामना करना पड़ता है और पंजीकृत कार्यों से अधिक राशि आ जाने पर अतिरिक्त कार्यों के पंजीयन हेतु प्रयास करने पड़ते हैं। अतः सिफारिश की जाती है कि योजना के राशि आवंटन में इतना अधिक उतार–चढ़ाव न किया जाये और इसके अबाध गति से (Smooth) संचालन हेतु समान या बढ़ती हुई राशि का आवंटन किया जाये ताकि कार्यकारी/क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अगले वर्ष की योजना तदनुरूप से तैयार की जा सके।

2. स्वीकृतियों में क्षेत्रवार असमानताएं :

योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यों का पंजीयन कर स्वीकृतियाँ जारी की जाती है जिन कार्यों की जन–सहयोग की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों द्वारा जमा करवा दी जाती है। फलतः किसी पंचायत समिति में काफी अधिक कार्य स्वीकृत हुए हैं तो किसी में कम। एक जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के स्वीकृत कार्यों में में काफी अधिक अन्तर क्षेत्रीय असमानताओं को उत्पन्न करता है। जिला स्तर पर कम राशि आवंटित होने पर पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को आवंटन में कठिनाई होती है और कार्यों की स्वीकृति अधिकारियों की स्वेच्छा पर निर्भर हो जाती है। कई बार कुछ पंचायत समितियाँ/ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव न आने पर उनके स्थान पर जन–सहयोग की प्राप्त राशि वाले कार्यों को स्वीकृति दे दी जाती है।

यदि राज्य सरकार के स्तर पर प्राप्त पंजीयन के आधार पर सभी को स्वीकृति देने के निर्देश/संसाधन उपलब्ध हो तो कार्यक्रम के संचालन में कोई व्यवधान नहीं होगा और सभी कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी की जा सकती है, लेकिन सीमित व उतार–चढ़ाव वाले आवंटन से जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर आवंटन करने में कई प्रकार की कठिनाईयाँ आती हैं। अतः सिफारिश की जाती है कि जहाँ तक संभव हो पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों को अपने–अपने क्षेत्र की आवंटित राशि के अनुसार वरीयता के क्रम में प्रस्ताव भेजने के लिए प्रेरित किया जावे।

3. योजना के प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्था :

योजनान्तर्गत जिलों में पंचायत समितियों की समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। कई चयनित पंचायत समितियों में तो बहुत ही कम ग्राम पंचायतों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। चूंकि योजना स्थानीय समुदाय सहभागिता पर आधारित है अतः जन–समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु योजना की उपयोगिता के बारे में ग्राम सभाओं के माध्यम से ज्यादा प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत से योजना के कार्य पंजीकृत करवाये जा सके।

4. **योजनान्तर्गत पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाना :**

क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि योजनान्तर्गत पंजीकृत करवाये गये कई कार्यों की स्वीकृति काफी लम्बे समय के बाद की जाती है। अतः पंजीकृत करवाये गये कार्यों की स्वीकृति उसी वित्तीय वर्ष में या एक–दो माह में जारी करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उचित होगा कि राज्य स्तर से अगले वर्ष के अनुमानित वित्तीय प्रावधान जनवरी माह में ही जिलों को इंगित कर दिए जावे ताकि तदनुरूप कार्य पंजीकृत किए जावें।

5. **योजनान्तर्गत पर्याप्त बजट का प्रावधान :**

अध्ययन हेतु चयनित जिलों में आवश्यकतानुसार राशि नहीं उपलब्ध होने से पंजीकृत करवाये गये कार्यों में से कम कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है तथा अध्ययन हेतु चयनित 85 कार्यों की पंजीयन दिनांक से 17 कार्यों की चार माह से 14 माह के समय में स्वीकृति जारी की गई। अतः समस्त पंजीकृत कार्यों की स्वीकृति जारी करने हेतु जिलों को आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त बजट का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। यदि जिलों में पंजीकृत कार्यों को देखते हुए बजट उपलब्ध न हो तो जिलों को समय पर सूचित कर अतिरिक्त पंजीयन को रोकने के आदेश दिए जाने चाहिए।

6. **आवंटन से अधिक व्यय :**

सर्वे के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ है कि कुछ जिलों में आवंटन से बहुत अधिक व्यय किया है। उदाहरणार्थ– उदयपुर जिले में वर्ष 2005–06 में 7.92 लाख की गत वर्ष की अवशेष राशि व वर्ष के दौरान का आवंटन 138.60 अर्थात् कुल 146.52 लाख उपलब्ध राशि के विपरीत 201.57 लाख रुपये व्यय किए गये, जो कि उपलब्ध राजकीय अंशदान से 54.65 लाख रुपये अधिक था। वर्ष 2006–07 में कोई नवीन कार्य स्वीकृत नहीं हुआ। वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि 45.97 लाख रुपये वर्ष 2006–07 में उपलब्ध करवाये गये, इसके पश्चात् भी 9.08 लाख रुपये राजकीय अंशदान कम रहा। विभाग को इस प्रकार की स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए एवं कुल उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

7. **जन–सहयोग राशि का अभाव :**

क्षेत्रीय अवलोकन के दौरान पाया गया कि अधिकांश कार्यों में क्षेत्र विशेष के व्यक्तिगत दानदाता, महत्वपूर्ण व प्रभावशाली व्यक्तियों या सीमित समूह एवं स्वंय सेवी संस्थाओं/संगठनों एवं विद्यालय छात्र निधी कोष द्वारा जनसहयोग की राशि प्रदान की गयी है और इसी कारण कार्यों के चयन में उनका प्रभाव अधिक देखा गया है। ग्रामवासियों द्वारा नकद व श्रम, सामग्री के रूप में बहुत कम सहयोग देखा गया।

अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल क्षेत्र में 20 प्रतिशत हिस्सा राशि भी उपलब्ध न होने के कारण उनके क्षेत्र में विकासीय कार्य अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाए हैं। योजना के उद्देश्यों को देखते हुए ऐसे क्षेत्रों में श्रम के रूप में जन सहयोग हेतु अधिक से अधिक ग्रामवासियों को प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि कार्य के प्रति ग्रामवासियों का रूझान हो व गुणात्मक सुधार हो।

8. एक ही प्रकार के कार्यों की स्वीकृति :

योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के कार्यों का पंजीयन अपेक्षित था लेकिन सर्वे के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि सबसे अधिक कार्य सामुदायिक सभा भवन, विद्यालय/संस्थाओं की चारदीवारी, विद्यालयों में कक्षा कक्ष, तालाब खुदाई व सड़क निर्माण से सम्बन्धित थे। अधिकांश स्थानों पर सामुदायिक सभा भवनों, हैण्ड़पम्पों को निजी सम्पत्ति मानकर उपयोग किया जा रहा था। एक ही दानदाता होने पर ग्रामवासियों को यह तक ज्ञात न था कि यह कार्य गुरू गोलवलकर जनभागीदारी योजना के तहत करवाया गया है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि एक क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार के कार्य स्वीकृत नहीं किए जाने चाहिए। वर्ष के दौरान कार्य स्वीकृत करने में पूर्व वर्षों के स्वीकृत कार्यों को भी देखा जाना चाहिए।

9. मजदूरी दरों में भिन्नता :

योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरी की दर ''नरेगा'' श्रमिकों से कम पायी गयी। अतः जहाँ भी नरेगा योजना क्रियान्वित थी वहाँ पर मजदूरों का रूझान अधिक मजदूरी के कारण ''नरेगा'' कार्यक्रम में अधिक था। एक ही क्षेत्र में मजदूरी की भिन्नता ग्रामवासियों में असन्तोष उत्पन्न करती है।

10. योजनान्तर्गत परिसम्पत्तियों का उपयोग :

कुछ स्थानों पर कार्य पूर्ण नहीं करने (खिड़की, दरवाजे न लगने), कुछ स्थानों पर कार्य पूर्ण होने पर भी सम्बन्धित को हस्तान्तरित न होने और कुछ स्थानों पर (सभा भवन, टॉयलेट) ताला लगा होने से उनका उपयोग नहीं होना पाया गया। अधूरे भवनों में जानवरों व असामाजिक तत्वों द्वारा भवन का खराब व टूट–फूट होना भी पाया गया। बिजली व पानी की व्यवस्था के अभाव में कुछ कार्यों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा था। अतः यह सिफारिश की जाती है कि कार्य के पंजीकरण के साथ ही उसकी कुल लागत के साथ उसके उपयोग व रखरखाव की जिम्मेदारी निश्चित कर दी जानी चाहिए ताकि योजनान्तर्गत बनाये गये कार्यों का पूर्ण उपयोग हो सके व समय पर रखरखाव होते रहने से परिसम्पत्तियाँ कई वर्षों तक सुरक्षित रह सके।

11. **योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव :**

योजनान्तर्गत अधिकांश कार्यों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया है तथा कई कार्य विद्यालयों/संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/विकास समितियों द्वारा भी करवाये गये हैं। योजनान्तर्गत कार्यों के निर्माण से सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव एवं स्वामित्व राज्य सरकार, ग्राम पंचायत एवं सहकारी समिति का निर्धारित किया गया है, परन्तु योजनान्तर्गत उनके रखरखाव एवं निगरानी हेतु पृथक से बजट आवंटित नहीं होने के कारण लाभ प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा ही उनकी सुरक्षा एवं निगरानी की जाती है। कई कार्यों में व्यक्तिगत दानदाताओं की भागीदारी ज्यादा रही है। अतः विभाग द्वारा योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का इन्द्राज ग्राम पंचायत एवं सरकारी संस्था/सहकारी समिति के अभिलेखों में करवाया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा, निगरानी के साथ–साथ रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि सम्पत्तियों के यथेष्ठ रखरखाव के अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के शीघ्र नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

12. **प्रबोधन व्यवस्था :**

कार्यकारी विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार से आवंटित राशि/रिलीज राशि की ही मॉनिटरिंग की जाती है और व्यय राशि का प्रतिशत भी राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी राशि से ही निकाला जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त राशि के उपयोग के साथ–साथ जन–भागीदारी से प्राप्त राशि की भी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि जिले में जन–सहयोग की प्राप्त/जमा की गयी राशि के विपरीत कितनी राशि व्यय की गयी।

13. **कार्यों पर सूचना पट्ट/बोर्ड :**

सभी कार्यों पर योजना का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए और बोर्ड पर स्वीकृत कार्य की राशि, व्यय राशि, जनसहयोग राशि, कार्य प्रारम्भ का दिनांक, समाप्ति का दिनांक आदि सभी का विवरण दिया जाना चाहिए।

4.3.0 **निष्कर्ष :**

संक्षेप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित ''गुरू गोलवलकर योजना'' स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिसम्पत्तियों के निर्माण में सहायक एवं उपयोगी रही है। योजनान्तर्गत करवाये गये अधिकांश कार्य जनहित में पाये गये, कार्यों की गुणवत्ता सन्तोषजनक थी, अधिकांश कार्य समय पर पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा चुके थे, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में सर्वाधिक कठिनाई जनसहयोग से राशि एकत्रित करने में ही हुई। अधिकांश जनसहयोग की राशि दानदाता, व्यक्ति विशेष, संस्थाओं द्वारा ही जमा करायी गयी। उदाहरणार्थ चयनित जिले दौसा में सर्वाधिक कार्य स्कूल में कक्षा कक्ष एवं चारदीवारी

से सम्बन्धित थे जिनकी जनसहयोग राशि स्कूल फण्ड़ (फीस एवं विकास शुल्क) से जमा करायी गयी, हैण्ड़पम्प निर्माण में उन परिवारों द्वारा जनसहयोग राशि उपलब्ध करायी गयी जिन परिवारों को हैण्ड़पम्प से सीधा फायदा हो रहा था। उदयपुर की बैंसला खुर्द ग्राम पंचायत में 5 लाख रुपये के सामूदायिक केन्द्र हेतु 1.50 लाख रुपये की जनसहयोग राशि ''हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड़'' द्वारा दी गयी।

योजनान्तर्गत जिन पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों से सर्वाधिक राशि जनसहयोग के रूप में उपलब्ध हुई उनमें अधिक कार्य करवाये गये और कुछ ग्राम पंचायतों में जनसहयोग राशि के अभाव में कोई भी विकासीय कार्य नहीं हो सका। योजना की अवधि बढ़ने के साथ–साथ लोगों में प्रचार–प्रसार होने से पंजीकृत कार्यों की संख्या में वृद्धि देखी गयी लेकिन बजट के अभाव में सभी पंजीकृत कार्यों की स्वीकृतियाँ जारी नहीं की जा सकी। अतः सिफारिश की जाती है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 3–4 माह पूर्व ही सम्बन्धित जिलों/पंचायत समितियों को अनुमानित राशि की सूचना दी जावें, कार्यों का पंजीकरण, स्वीकृति व कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराए जाने के लक्ष्य निर्धारित किए जावें तथा ग्रामवासियों में विस्तृत प्रचार–प्रसार कर अधिक से अधिक व्यक्तियों को जनसहयोग की राशि एकत्रित करने हेतु प्रोत्साहित किया जावें, पूर्ण कार्यों का पूरा उपयोग किया जावें तथा कार्यों के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें तभी योजना अधिक प्रभावी, लोकप्रिय एवं सस्टेनेबल (Sustainable) सिद्ध होगी

————

परिशिष्ट – "क"

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के तहत करवाये गये कार्यों पर योजना प्रारम्भ वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक जिलेवार व्यय की गयी राशि का विवरण

(राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	जिला	कुल व्यय				कुल योग
		2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	
1.	जैसलमेर	0.00	33.96	7.98	56.16	98.10
2.	टोंक	0.00	71.63	16.11	19.36	107.10
3.	कोटा	0.00	24.24	15.20	68.73	108.17
4.	बूँदी	0.00	11.90	29.93	68.47	110.30
5.	**सिरोही**	**3.01**	**49.09**	**19.24**	**46.87**	**118.21**
6.	करौली	0.00	46.94	36.19	55.00	138.13
7.	डूँगरपुर	0.00	41.71	36.64	72.22	150.57
8.	बारां	3.93	32.74	29.81	88.86	155.34
9.	धौलपुर	0.00	56.97	33.62	69.99	160.58
10.	सवाईमाधोपुर	0.00	94.50	20.83	46.13	161.46
11.	**दौसा**	**0.00**	**16.00**	**57.13**	**97.83**	**170.96**
12.	राजसमन्द	0.00	57.95	56.56	89.20	203.71
13.	बांसवाड़ा	4.30	80.26	54.89	71.04	210.49
14.	चित्तौड़गढ़	9.00	148.16	43.68	55.32	256.16
15.	झुन्झुनू	0.00	55.33	72.73	141.72	269.78
16.	जयपुर	0.00	86.91	127.13	73.50	287.62
17.	गंगानगर	0.00	48.19	35.79	216.78	300.76
18	बीकानेर	9.58	76.25	62.61	167.17	315.61
19.	भरतपुर	0.00	111.14	71.09	138.28	320.51
20.	पाली	6.64	121.03	20.48	186.92	335.07
21.	चूरू	0.00	84.85	61.83	194.59	341.27
22.	जालौर	6.89	145.79	28.04	178.42	359.14
23.	**अजमेर**	**3.00**	**51.50**	**93.00**	**213.87**	**361.37**
24.	झालावाड़	4.77	127.91	46.30	203.10	382.08
25.	जोधपुर	6.43	93.48	43.95	241.45	385.31
26.	अलवर	1.34	100.39	103.79	242.36	447.88
27.	बाड़मेर	10.66	173.74	37.00	231.09	452.49
28.	हनुमानगढ	11.63	182.10	48.36	277.44	519.53
29.	**उदयपुर**	**0.00**	**256.88**	**0.00**	**292.85**	**549.73**
30.	भीलवाड़ा	6.20	229.60	96.90	244.94	577.64
31.	सीकर	52.00	83.62	87.75	446.19	669.56
32.	नागौर	7.63	226.19	76.59	368.64	679.05
	योग	**147.01**	**3020.95**	**1571.15**	**4964.57**	**9703.68**